राजभाषा सुभाषिनी

2022

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के उद्देश्य

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का उपक्रम है। इस निगम को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कम्पनी के रुप में 13 जनवरी, 1992 को स्थापना की गई। इसका उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) सरकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य उद्देश्य :

निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना,
2. पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की, सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आय और/या आर्थिक मानदंडो के आधार पर आर्थिक एवं वित्तीय रुप से व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के माध्यम से सहायता करना ।
3. पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए स्वरोजगार तथा दूसरे काम के अवसरों को प्रोत्साहित करना;
4. चुने हुए मामलों में, देश में दोहरी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा कम्पनी को अनुदत्त बजटीय सहायता की सीमा तक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से रियायती वित्त उपलब्ध कराना;
5. पिछड़ी जतियों को स्नातक एवं उच्चतर स्तरों पर सामान्य/ व्यावसायिक / तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु बढ़ावा देने के लिए ऋणों का विस्तार करना;
6. उत्पादन इकाइयों के उचित एवं कुशल प्रबंधन के लिए पिछड़ी जातियों की तकनीकी एवं उद्यमीय कुशलताओं के उत्थान में सहायता करना;
7. पिछड़ी जातियों के विकास से जुड़े राज्य स्तरीय संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर वाणिज्यिक निधि प्राप्त करने में या पुनः वित्त उपलब्ध कराकर सहायता करना;
8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित सभी निगमों/बोर्डो के कार्य में, पिछड़ी जातियों के आर्थिक विकास की सीमा तक सहयोग करने तथा इसकी देखरेख करने के लिए शीर्ष संस्था के रुप में कार्य करना;
9. पिछड़ी जातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना।

राजभाषा सुभाषिनी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
5वीं मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016
ई-मेल : info@nbcfdc.gov.in, **वेबसाइट :** www.nbcfdc.gov.in

"हमें प्रयत्नपूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियों व भाषाओं में जो उत्तम चीजें हैं, उन्हें हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाना चाहिए और यह प्रक्रिया अविरल चलती रहनी चाहिए।"

– नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)

"आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब हिंदी प्रेमियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों, तब तक राजभाषा और स्थानीय भाषाओं का दबदबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग न लेना पड़े।"

– अमित शाह (गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री)

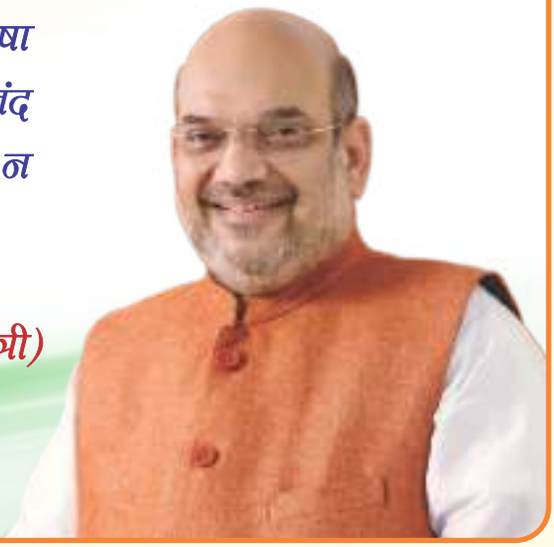

डा. वीरेन्द्र कुमार
DR. VIRENDRA KUMAR
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय : 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel.: 011-23381001, 23381390, Fax: 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाषः 011–23381001, 23381390, फैक्सः 011–23381902
ई–मेलः min-sje@nic.in

संदेश

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रकाशित की जाने वाली हिन्दी गृह पत्रिका **''राजभाषा सुभाषिनी''** का प्रकाशन एक उत्कृष्ट कार्य है। हम पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से न सिर्फ भाषा को ही सशक्त बनाते हैं अपितु अपनी योजनाओं की जानकारी भी जनमानस तक पहुंचाते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जा रही है। देश की समस्त भाषाएं एक–दूसरे की अथवा हिन्दी की प्रतिस्पर्धी नहीं हैं अपितु सभी एक–दूसरी की सखी हैं। हिन्दी के शब्दों में प्रत्येक भाषा के शब्दों का समावेश है। इस दृष्टि से हिन्दी में दूसरी भाषाओं की ग्रहणीयता अत्यंत व्यापक है। हिन्दी भाषा की यह अतुलनीय ग्राह्य शक्ति ही है कि व्यावसायिक विज्ञापनों में सबसे अधिक हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा है। हम देश के किसी भी हिस्से से हों और हमारी भाषा कोई भी क्यों न हो, हम मात्र थोड़े ही प्रयास से हिन्दी को बोलना और लिखना सीख सकते हैं।

हमें पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर हिन्दी भाषा को और अधिक समृद्ध, संपन्न एवं ग्राह्य बनाएंगे और इसे विश्व पटल पर स्थापित करने में अपना पूरा योगदान देंगे।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

रामदास आठवले
RAMDAS ATHAWALE

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

अत्यन्त हर्ष का विषय की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार एवं उसके प्रयोग में उत्तरोत्तर गति लाने के उद्देश्य से अपनी राजभाषा पत्रिका **''राजभाषा सुभाषिनी''** का प्रकाशन कर रहा है।

हिन्दी संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। इसके साथ ही साथ व्याकरण एवं शब्द भंडार की दृष्टि से एक समृद्ध भाषा है। हिन्दी सांस्कृतिक परंपरा की एक प्रबल वाहिनी भी है। अतः हिन्दी का प्रचार प्रसार एवं इसका प्रयोग निःसन्देह जन–उपयोगी है। हिन्दी ही वह भाषा है, जिसके माध्यम से हम सरकार की तमाम योजनाओं जो जन–जन तक पहुँचते में सफल हो सकते हैं।

मेरा आग्रह है कि सभी कार्मिक अपने कार्यालयी कार्यों के साथ दैनिक जीवन में हिन्दी का प्रयोग कर इसे और अधिक प्रचारित–प्रसारित करें।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ ।

(रामदास आठवले)

Room No. : 101, 'C' Wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajender Prasad Road, New Delhi-110001, Tel.: 011-23381656, 23381657, Fax : 011-23381669

ए. नारायणस्वामी
A. NARAYANASWAMY

सत्यमेव जयते

D.O. No. 481/MOS(SJ&E-AN)/VIP/2022

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपनी हिन्दी गृह पत्रिका **"राजभाषा सुभाषिनी"** का प्रकाशन करने जा रहा है।

निगम का कार्यक्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और निगम गरीब पिछड़े वर्ग को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के साथ–साथ विभिन्न लक्षित वर्गों को सशक्त बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण पर भी जोर दे रहा है। साथ ही, कार्यालयी कार्यों में हिन्दी भाषा का अधिकाधिक उपयोग होना एवं उसे बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहना एक सराहनीय कदम है। ऐसे में इस गृह पत्रिका का प्रकाशन अवश्य ही उपयोगी साबित होगा व पत्रिका का प्रकाशन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिन्दी में कार्य करने को और अधिक प्रोत्साहित करेगा।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएं।

(ए. नारायणस्वामी)

Office : 301, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajender Prasad Road, New Delhi-110001, Tel. : 011-23072192, 23072193, Fax: 011-23072194
Residence :401, Ganga Apartment, Dr. B. D. Marg, New Dehi-110001, Ph.: 011-23310480, 08194-235001
E-mail : mpchitradurgaanswamy@gmail.com, a.narayanaswamy@sansad.nic.in

प्रतिमा भौमिक
PRATIMA BHOUMIK

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

No. 376/VIP/MOS/(SJ&E)/2022

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

251, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383757, 23383745, Fax : 011-23074097
E-mail : pratima.bhoumik@nic.in; mosoffice-depwd@nic.in

संदेश

हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अपनी राजभाषा पत्रिका **"राजभाषा सुभाषिनी''** का प्रकाशन नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष कर रहा है।

हिन्दी भाषा का दायरा अंत्यत व्यापक है और यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिन्दी को देश की राजभाषा का गौरव भी प्राप्त है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे राजभाषा की संकल्पना को फलीभूत किया जा सके और इसके माध्यम से सरकारी काम–काज के साथ–साथ जनमानस की भाषा के रूप में स्थापित किया जा सके।

मुझे आशा है कि यह पत्रिका पाठकों को निगम के राजभाषा कार्यकलापों की जानकारी प्रदान करने और निगम के कार्यकलापों को भी प्रतिबिम्बित करने में सफल होगी।

पत्रिका के सफल संपादन एवं प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएं।

प्रतिमा भौमिक

(प्रतिमा भौमिक)

अंजली भावड़ा, भा.प्र.से.
सचिव
Anjali Bhawra, IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Social Justice and Empowerment

संदेश

मुझे अत्यंत हर्ष है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपनी हिन्दी गृह पत्रिका **'राजभाषा सुभाषिनी'** का प्रकाशन कर रहा है।

मेरा ऐसा अनुभव है कि सरकारी काम–काज में हिन्दी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है तब ऐसे में हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी के संबंध में घोषित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। ऐसा हम मात्र सामूहिक प्रयासों से ही कर सकते हैं जिसमें सभी की भागीदारी आवश्यक है। मेरा यह मानना है कि अब प्रत्येक क्षेत्र में तकनीक का बढ़ता दायरा इसमें अत्यंत सहायक है। आज कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से हिन्दी में कार्य को आसान करने के लिए बहुत सारे टूल उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग कर हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए दृढ संकल्पित होकर समर्पित भाव से कार्य करें।

मुझे आशा है कि निगम राजभाषा के संबंध में उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएं।

अंजली भावड़ा

(अंजली भावड़ा)

Room No. 604, 'A' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi-110 115 Tel. : 011-23382683, 23389184, Fax : 011-23385180
E-mail : secy.wel@nic.in

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में कार्यनिष्पादन की झलक

क्र. सं.	विवरण	8 वीं योजना	9 वीं योजना	10 वीं योजना	11 वीं योजना	12 वीं योजना (2012–17)	(2017–18) से (2022–23)	30.09.2022 तक
1	बजटीय सहायता (रु. करोड़)	198.90	191.50	69.95	212.00	451.65	375.40	1499.40
2	वितरण (रु. करोड़)	197.93	443.63	581.90	842.30	1509.75	2769.85	6345.35
3	सहायता प्राप्त लाभार्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	836093	820109	3120472

गत् तीन वर्ष की उपलब्धियाँ

ऋण वितरण

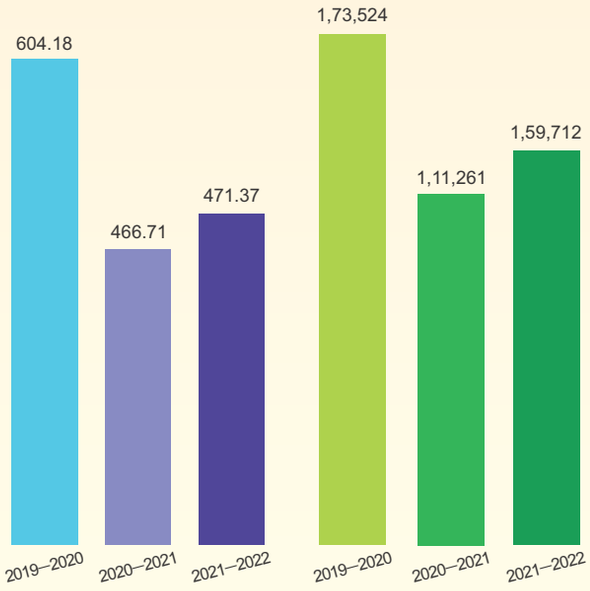

वितरण/रु. करोड़ में

लाभार्थी की संख्या

कौशल विकास प्रशिक्षण

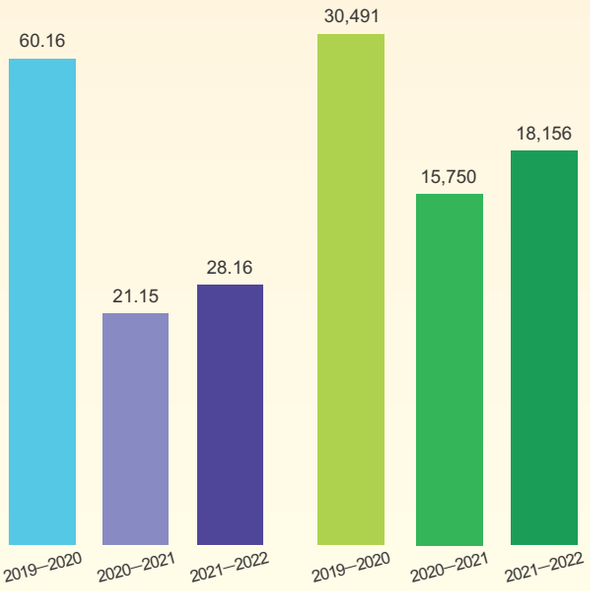

वितरण/रु. करोड़ में

लाभार्थी की संख्या

सम्पादकीय

आपको वर्ष 2022 का अंक प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। आशा है आपको हमारा यह अंक पसंद आएगा और हमें इस संबंध में आपकी प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

हमेशा की तरह इस अंक को भी उपयोगी एवं सार्थक बनाने का पूरा–पूरा प्रयास किया गया है। राजभाषा हिन्दी, परियोजना, कौशल विकास प्रशिक्षण, वित्त, निगमित सामाजिक दायित्व, मानव संसाधन विभाग के लेखों एवं साथ ही साथ चित्रों के माध्यम से कार्यकलापों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है जिससे पाठकों को हमारे विभिन्न कार्यकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। हमने इस अंक को आकर्षक, रोचक, एवं ज्ञानवर्धक बनाने का पूरा प्रयास किया है।

मैं आशा करता हूँ कि **'राजभाषा सुभाषिनी'** का यह अंक आपको पसंद आएगा। आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

- सुरेश कुमार शर्मा
महाप्रबंधक (कौशल विकास)
एवं राजभाषा प्रभारी

सम्पादक मण्डल

संरक्षक :

श्री रजनीश कुमार जैनव
प्रबन्ध निदेशक

संपादक :

श्री सुरेश कुमार शर्मा
महाप्रबन्धक (कौ.वि.) एवं
राजभाषा प्रभारी

सह-संपादक :

श्रीमती अनुपमा सूद
वरि. महाप्रबंधक (परियोजना)

श्री मो. जावेद अहमद खाँ
स. प्रबंधक (राजभाषा)

पत्रिका में छपे लेख, कविताओं आदि की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी पूर्णतः लेखक की है। इसके लिए निगम प्रबन्धन अथवा सम्पादक मण्डल उत्तरदायी नहीं है।

यह पत्रिका मुफ्त वितरण हेतु है।

विषय सूची

1. **प्रबन्ध निदेशक की कलम से** 11
2. **एन.बी.सी.एफ.डी.सी. में राजभाषा हिन्दी के बढ़ते कदम** 12
   – सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक एवं राजभाषा प्रभारी
   – **राजभाषा कार्यकलापों का छायांकन** 13
3. **लेख : स्वावलंबन की एक पहल–विपणन संयोजन** 14–15
   – वी. आर. चारी, वरि. महाप्रबंधक (मा.सं. एवं सी.एस.आर.)
   – **सी.एस.आर. योजना एवं विपणन संयोजन का छायांकन** 15–16
4. **लेख : निगम की योजनाएं–पिछड़े वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम** 17–18
   – अनुपमा सूद, वरि. महाप्रबंधक (परियोजना)
   – **निगम की ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त लाभार्थियों का छायांकन** 19
   – **सफलता की कहानियाँ** 20
5. **लेख : सूचना प्रौद्योगिकी से सरकारी तंत्र में क्रांति** 21
   – सुजय पी. जॉन, मुख्य प्रबंधक (प्रशासन)
   – **प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का छायांकन** 22
6. **लेख : ऋण वसूली (पुनःप्राप्ति) तंत्र** 23–24
   – नरेश कुमार, वरि. प्रबंधक (वित्त)
7. **लेख : आय सृजन का माध्यम–निगम की प्रशिक्षण योजना** 25
   – रंजना, प्रबंधक (कौ. वि.)
   – **सफलता की कहानियाँ** 26
   – **कौशल विकास कार्यक्रमों का छायांकन** 27
8. **लेख : आगे बढ़ती, हमारी हिन्दी** 28–29
   – मो. जावेद अह. खाँ, स. प्रबंधक (राजभाषा)
9. **लेख : सफलतापूर्वक कार्यनिष्पादन के कुछ नुस्खे** 30
10. **कविताएं :**
    हाँ मैं मर्द हूँ – साजिद अख्तर, अधिकारी 31
    सही समय कुछ कर न सका – अशोक कुमार नागर, स. प्रबंधक
11. **लेख : आज़ादी का अमृत महोत्सव** – नीलम मुद्गल, प्रबंधक (वित्त) 32–33
12. **कहानी : चंदू की बीवी** – रविन्द्र कुमार, अधिकारी 34
13. **कविताएं :**
    गुम है मेरे खयालों में वो बचपन की गली – संजीव शर्मा, प्रबंधक 35
    सेवानिवृत्ति दिवस – नीलम मुद्गल, प्रबंधक (वित्त)
14. **लेख : देश प्रेम के लिए आवश्यक–कर्तव्यों का निर्वहन** – साजिद अख्तर, अधिकारी 36
15. **कविताएं :**
    हिन्दी का सम्मान – राजेन्द्र कुमार, कार्यकारी 37
    मेरी उलझनें – हरवीर सिंह, कार्यकारी
16. **लेख : बैडमिंटन का शौक – मेरी दिव्यांगता, संघर्ष और उपलब्धियाँ** 38–39
    – मुन्ना खालिद, कनि. कार्यकारी
17. **कविताएं : रिश्ते** – हरीश सती, अधिकारी/पर्यावरण–सुखदेव सिंह गुलैया 39
18. **कहानी : बेटे चार और हिस्सा तीन** – अशोक कुमार नागर, स. प्रबंधक 40
19. **कविताएं :**
    जन्मदिन की शुभकामनाएं – रविन्द्र कुमार, अधिकारी 41
    वो गाँव मेरा – दीपक वर्मा, स. प्रबंधक
20. **कविताएं : उलझन की कविता** – दिलीप सामाद, स. कार्यकारी 42
    माँ की कामना – संजीव शर्मा, प्रबंधक
21. **विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा, वित्तीय प्रणाली तथा ब्याज दर/बच्चों का कोना** 43
22. **राजभाषा नियमों के अनुपालन हेतु विनिश्चित जांच बिन्दु एवं अपेक्षित कार्यवाही स्तर / 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण** 44

प्रबन्ध निदेशक की कलम से

- रजनीश कुमार जैनव

सभी पाठकों को नव–वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

तमाम प्रतिबंधों एवं सावधानियों के माध्यम से कोरोना महामारी से मुकाबले करते हुए देश अब पुनः प्रगति की रफ्तार पकड़ चुका है। यद्पि निगम का सरोकार व्यावसायिक नहीं है फिर भी, निगम कोरोना महामारी के दौरान विविध रूप से लोगों को मदद पहुंचाने के अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाता रहा। निगम ने इस दौरान विभिन्न वर्गों के खाने–पीने सहित उनके स्वास्थ्य एवं आजीविका का यथासंभव ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारे इस कार्य में भारत सरकार के कई संस्थान एवं गैर–सरकारी संगठनों ने सहायता की है।

मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निगम ने 15 नवम्बर, 2022 तक लक्षित वर्गों को रू. 6345.35 करोड़ का सकल वितरण कर 31.20 लाख से अधिक लाभार्थियों को आसान एवं रियायती ऋण सुविधा के माध्यम से उनके स्व–रोजगार स्थापना में सफलता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि तक 1 लाख 97 हजार से अधिक युवाओं को 'पी.एम.–दक्ष' कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए हैं जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में मदद मिली है। उल्लेखनीय है कि निगम पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को उनके रोजगार स्थापना हेतु रियायती दरों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराता है एवं लक्षित वर्गों को देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं।

मेरा मानना है कि तेजी से विकसित होती इंटरनेट तकनीक का फायदा कार्यालयों को अपने कार्यनिष्पादन में होना एक अति सकारात्मक सूचक है। इस दिशा में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास अत्यंत उपयोगी है। मंत्रालय द्वारा विकसित ई–शब्दकोष, कंठस्थ वर्जन–2, ऑन लाइन तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने जैसी अनेक सुविधाओं की उपलब्धता से कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग को गति मिली है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कार्यों की समीक्षा एवं निरीक्षण भी इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

निगम अपने सीमित मानव संसाधन का युक्तियुक्त उपयोग करते हुए निगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ–साथ राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपना ध्यान केन्द्रित किए हुए है। निगम लगातार मॉनीटरिंग, प्रोत्साहन एवं प्रेरित करने जैसे कई उपायों के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें विश्वास है कि निगम परिवार अपने राजभाषा संबंधी दायित्वों को समझते हुए राजभाषा नियमों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित करना जारी रखेगा।

निगम ने वर्ष 2022 के दौरान राजभाषा से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों, अधिनियम–नियम आदि का अनुपालन करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं अधिनियम व नियमों के अनुपालन हेतु समुचित ध्यान दिया है। हमारे लिए यह संतोष का विषय है कि हमने फाइलों पर टिप्पणियाँ लिखने के मामले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक हिन्दी में कार्य किया है तथा पत्राचार के मामले में हम लक्ष्य प्राप्त करने के निकट पहुंच चुके हैं और हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यह विश्वास है कि निगम अवश्य ही लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा।

जय हिन्द।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. में राजभाषा हिन्दी के बढ़ते कदम

- सुरेश कुमार शर्मा
महाप्रबन्धक एवं राजभाषा प्रभारी

निगम ने बीते वर्षों में राजभाषा – हिन्दी के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की है। निगम में आरम्भ से ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। जिसका समय–समय पर पुनर्गठन किया जा रहा है। समिति द्वारा निगम के राजभाषा सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा एवं विश्लेषण अपनी बैठकों के दौरान किया जाता है। समिति की नियमित रुप से तिमाही बैठकें आहूत की जाती हैं तथा लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

वर्तमान में निगम के प्रबन्धक स्तर एवं इससे ऊपर स्तर के अधिकारियों को समिति में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से निगम की कार्यान्वयन समिति में सभी विभागों का प्रतिनिधित्व है। निगम के प्रबन्ध निदेशक समिति के पदेन अध्यक्ष है।

निगम के प्रशासनिक मंत्रालय तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग को निगम की राजभाषा प्रयोग से संबन्धित तिमाही रिपोर्ट एवं कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत प्रेषित किए जाते हैं तथा सम्बद्ध मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से लगातार प्रशंसा एवं सुझाव पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

निगम ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी भाषा प्रशिक्षण, आशुलिपि एवं टंकण प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दिया है। हिन्दी कार्य करने में प्रवीणता प्राप्त करने के उदेश्य से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजना एवं इन–हाउस कक्षाओं के माध्यम से निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। निगम के आन्तरिक कार्यों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। पत्रावलियों पर अधिकांश टिप्पणियॉ हिन्दी में लिखी जा रही है। निगम में हिन्दी पत्राचार प्रतिशत को भी बढ़ाए जाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है।

राजभाषा नियमों का निगम में अनुपालन एवं अपने कार्मिकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने हेतु समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय तथा नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) के तत्वावधान में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं बैठकों में भाग लेता है। निगम ने वर्ष के दौरान 16 से 30 सितम्बर तक 'हिन्दी पखवाड़ा' का आयोजन किया है जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के तत्वावधान में सूरत, गुजरात में आयोजित 'हिन्दी दिवस' एवं 'दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' में भाग लिया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया।

निगम अपने विभागों के आंतरिक निरीक्षणों पर भी बल दे रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है। नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) द्वारा नराकास के कार्यक्रमों में निगम की सक्रिय भागीदारी के दृष्टिगत शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही साथ, नराकास द्वारा निगम के सहायक प्रबंधक, राजभाषा को 'विचार प्रतियोगिता' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पुरस्कृत किया गया।

निगम में धारा 3 (3) का पालन किया जा रहा है। निगम द्वारा जारी सामान्य आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र इत्यादि द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में ही जारी किए जाते हैं। निगम में प्राप्त हिन्दी पत्रों के जवाब अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए जाते हैं तथा इसके अनुपालन हेतु समुचित चेक बिन्दु बनाए गए हैं।

निगम में प्रयुक्त की जाने वाली मुद्रित सामग्री जैसे फाइल कवर, लैटर हेड्स, नोटिंग, विजिटिंग कार्डस, लिफाफे, वाउचर, लेजर पंजिका इत्यादि द्विभाषी रुप में मुद्रित कराए जाते हैं। निगम के प्रकाशन जैसे – वार्षिक प्रतिवेदन, ब्रोशर, हैण्ड बिल्स, मेमोरैण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मुद्रण द्विभाषी किया जाता है। निगम के समस्त कम्प्यूटरों पर हिन्दी सॉफ्टवेयर सारांश एवं गूगल इनपुट टूल का प्रयोग किया जा रहा है। निगम द्वारा माह सितम्बर में 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर निगम के कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में निष्पादित किए जाने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया। निगम की बैठकों में वार्तालाप प्रायः हिन्दी में किए जाते हैं। अतिश्योक्ति नहीं, इस अथक प्रयास से पिछले कई वर्षों से निगम के सामान्य वातावरण में हिन्दीमय वातावरण अनुभव किया जा सकता है।

निगम के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, अतः निगम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।

राजभाषा कार्यकलापों का छायांकन

निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एवं समिति के सदस्यगण

हिन्दी कार्यशाला के अवसर पर कार्मिकों को संबोधित करते हुए श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक एवं राजभाषा प्रभारी

नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) से शील्ड प्राप्त करते हुए श्री वी. आर. चारी, वरि. महाप्रबंधक (मा.सं.) एवं श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक एवं राजभाषा प्रभारी

नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) के अध्यक्ष से प्रथम पुरस्कार का प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए श्री मो. जावेद अहमद खाँ, स. प्रबंधक (राजभाषा)

'हिन्दी पखवाड़ा' के दौरान 'विचार प्रतियोगिता' में प्रतिभागियों के साथ श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक एवं राजभाषा प्रभारी

'हिन्दी पखवाड़ा' के दौरान प्रतियोगिता में भाग लेते हुए कार्मिकगण

नराकास के तत्वावधान में आयोजित 'राजभाषा सम्मेलन' में निगम की ओर से श्री मो. जावेद अहमद खाँ, स. प्रबंधक (राजभाषा) की प्रतिभागिता का समूह चित्र

स्वावलंबन की एक पहल– विपणन संयोजन

- वी. आर. चारी
वरि. महाप्रबंधक (मा.सं. एवं सी.एस.आर.)

निगम आरंभ से ही अपने लक्षित वर्ग के चहुमुखी विकास के लिए तत्पर रहा है। निगम ने समय–समय पर ऐसी योजनाएं तैयार की है जो लक्षित वर्ग के प्रत्येक वर्ग पर अपना लाभप्रद प्रभाव परिलक्षित कर सके। इन्ही योजनाओं में एक विशेष योजना है मार्केटिंग लिकजेज अर्थात् विपणन संयोजन। यह योजना अत्यंत दूरदर्शी है एवं लक्षित वर्गों पर दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई। इस योजना के माध्यम से दस्तकारों/हस्तशिल्पियों को उनके उत्पादों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है, जहाँ उनकी विभिन्न शिल्प कलाओं को पूरा सम्मान प्राप्त होता है। यह मंच जहाँ एक ओर लाभार्थी को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचने का अवसर प्राप्त करता है वहीं दूसरी ओर वह भविष्य के क्रेताओं से भी जुड़ता है। इसके साथ ही साथ दस्तकार/हस्तशिल्पी को अपने उत्पादों को और अधिक बेहतर बनाने हेतु नए–नए विचार भी प्राप्त होते है जिससे वे आधुनिक बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ता सामाजिक स्तर में अभिवृद्धि का कारक बनती है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते निगम 'विपणन संयोजन' पर बल दे रहा है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले शीर्ष निगम के लक्षित वर्गों हेतु विपणन संयोजन का अवसर प्राप्त करने के लिए मंत्रालय दशकों से अहम भूमिका निभाता आ रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सभी निगम मंत्रालय के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेला, सूरजकुण्ड, हरियाणा एवं दिल्ली हाट, नई दिल्ली जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेते हैं। इन आयोजनों से प्रत्येक वर्ष देश के सैकड़ों दस्तकार / हस्तशिल्पी लाभ उठाते हैं। निगम चैनल सहभागियों से आग्रह करता है कि राज्य स्तर पर होने वाले बड़े उत्सव/मेलों में लाभार्थियों को भाग लेने का अवसर प्रदान करें। इसके लिए चैनल सहभागियों को अलग से सहायता राशि प्रदान की जाती है।

इन आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रत्येक निगम अपने चैनल सहभागियों को आयोजन अवधि के संबंध में सूचित करता है और दस्तकारों/हस्तशिल्पियों को नामित करने का आग्रह करता है। इस प्रकार से चैनल सहभागियों द्वारा दस्तकारो/ हस्तशिल्पियों को चयनित कर उनकी सूचना शीर्ष निगम को भेजी जाती है एवं तद्नुसार लाभार्थियों को स्टॉल का आवंटन किया जाता है। शीर्ष निगमें चैनल सहभागियों को इस संबंध में विभिन्न निर्देश जारी करते हैं और इस बात का ध्यान रखने पर दल दिया जाता है कि एक ही लाभार्थी को बार–बार इन आयोजनों में नामित न किया जाए जिससे दूसरे अथवा नए लाभार्थियों को भी इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके।

शीर्ष निगमें नामित दस्तकारो/ हस्तशिल्पियों की सुविधा के लिए विभिन्न उपाय करती है। इन उपायों में प्रमुख है, प्रत्येक लाभार्थी एवं उसके एक साथी को आने–जाने का किराया उपलब्ध कराना, उत्पादों के लाने–ले जाने का भाड़े का वहन करना एवं दैनिक भता प्रदान करना। इस प्रकार की सुविधाएं दस्तकारों / हस्तशिल्पियों को ऐसे आयोजनों में भाग लेने हेतु उत्प्रेरक का कार्य करती है और वे इस चिन्ता से भी मुक्त हो जाते हैं कि आयोजन के दौरान बड़े शहरों में उनका खर्च अधिक होगा।

कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सका और विपणन संयोजन के माध्यम से मिलने वाले लाभों से हमारे दस्तकार/ हस्तशिल्पी वंचित रहे। अतः मंत्रालय का प्रयास है कि कोरोना महामारी के खतरों को ध्यान में रखते हुए, पूरी सावधानी व सतर्कता बरतते हुए हम इस प्रकार के

कार्यक्रमों को पुनः आरंभ करें। इसी कड़ी में, इस वर्ष दिल्ली हाट में 1 से 15 नवम्बर तक 'शिल्पसंगम– 2022' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। मंत्रालय द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को स्टॉल आबंटित किए गए। इसमें 19 राज्यों के कुल 109 लाभार्थियों द्वारा भाग लिया गया। इन राज्यों में असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य के लाभार्थी सम्मिलित है। लाभार्थियों द्वारा ड्रेस मैटेरियल, बास, बेत एवं जूट से बने उत्पाद, हैण्डलूम उत्पाद, मधुबनी पेंटिंग, रेडीमेड गारमेंट, आरी वर्क, सोजनी वर्क, कश्मीरी शॉल, बास से बने उत्पाद, साड़ियों, अचार, जूट के सामान लकड़ी पर नक्काशी के उत्पाद, लकड़ी के खिलाने, खेस, लोई, दरी, जैकेट इत्यादि उत्पादों का प्रदर्शनी एवं बिक्री की गई। इसी प्रकार का आयोजन आई.आई.टी.एफ., नई दिल्ली में भी किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों द्वारा भाग लिया गया तथा अपने उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन किया गया।

हमें आशा एवं विश्वास है कि हमारे लक्षित वर्ग इन अवसरों का पूरा–पूरा लाभ उठाएंगे और इस मंच के माध्यम से अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे जिससे उन्हें भविष्य के क्रेता मिल सकें और अपने उत्पादों को यहाँ पर अच्छी कीमत से बेच सकेंगे। उत्पादों को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु क्रेताओं के सुझाव उनका मार्गदर्शन करेंगे। अन्ततः वे अपनी आय को उचित स्तर तक ले जाने में सफल हो सकेंगे जिससे वे स्वावलंबी बन सके और इच्छुक अन्य व्यक्तियों को अपनी कला/दस्तकारी में निपुण कर रोजगार सृजन भी कर सकें व इस प्रकार से देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें।

निगम की सी.एस.आर. योजना के अंतर्गत कार्यकलापों का छायांकन

जिला नर्मदा, गुजरात में स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन का छायाचित्र

कटक, उड़ीसा में आंख की जाँच शिविर के आयोजन का छायाचित्र

छिदवाड़ा, मध्य प्रदेश में चिरौंजी डिकोर्टीकेटर मशीन स्थापना के निरीक्षण का छायाचित्र

विरूधुनगर, तमिलनाडु में सैनेटरी नैपकीन की भट्ठी की स्थापना के निरीक्षण का छायाचित्र

विपणन संयोजन का छायांकन

डॉ. वीरेन्द्र कुमार, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2022 में दिल्ली हाट में आयोजित 'शिल्प समागम' एवं दिसम्बर, 2022 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आई.आई.टी.एफ. में मंत्रालय के शीर्ष निगमों को आबंटित स्टालों का भ्रमण किया गया तथा लाभार्थियों के उत्पादों को अवलोकन कर उनसे वार्ता की गई। इस दौरान मंत्रालय एवं निगमों के शीर्ष अधिकारी एवं श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. मौजूद रहे।

निगम की योजनाएं – पिछड़े वर्गो को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम

- *अनुपमा सूद*
वरि. महाप्रबंधक (परियोजना)

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उपक्रम है। निगम की स्थापना 13 जनवरी, 1992 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत बिना लाभ की कम्पनी के रूप में पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना और इन वर्गों के निर्धनतम वर्ग को स्व–रोजगार अवसर एवं कौशल विकास हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। एन. बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों अर्थात् राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

ऋण योजनाओं का लाभ उठाने हेतु पात्रता

आवेदक राज्य/केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित पिछड़ा जाति का होना चाहिए। जिला प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी द्वारा पिछड़ा वर्ग (जाति) प्रमाण–पत्र जारी किए जाते है।

आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख से कम होनी चाहिए। संबंधित राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आय प्रमाण–पत्र जारी किए जाते हैं।

निगम निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों के आय सृजित करने वाले विभिन्न कार्यकलापों हेतु ऋण सहायता प्रदान करता है। वित्त पोषण हेतु कार्यकलापों की दृष्टांतक सूची :

- **कृषि एवं संबंधित क्षेत्र कृषि** उपकरण, बागवानी गतिविधियां, मधुमक्खी पालन, नौका, बोर–वेल, डेरी, मतस्य पालन, लिफ्ट इरीगेशन, ट्रैक्टर एवं ट्राली, बीज, खाद, कीटनाशक, पशुपालन आदि।
- **लघु व्यापार/दस्तकारी एवं पारम्परिक व्यवसाय** बेकरी, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, लोहारगीरी, बढ़ईगीरी, ड्राई क्लीनिंग, किराना दुकान, हस्तशिल्प एवं दस्तकारी सामान की दुकान, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिले सिलाए वस्त्रों की दुकान, सिलाई एवं कढ़ाई की दुकान, फोटोग्राफी आदि।
- **परिवहन सेवाएं एवं सेवा क्षेत्र मोटर** मरम्मत दुकान, ऑटो रिक्शा, परामर्शी सेवाएं, साइकिल मरम्मत दुकान, कम्प्यूटर सेंटर, बिजली एवं इलैक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत दुकान घरेलू सामान, होटल एवं रेस्टोरेंट, मोबाइल फोन मरम्मत दुकान. बहुउपयोगिता वाहन, फोटो कॉपियर, फोटो स्टूडियो, प्लम्बिंग, पिक–अप वैन, टैक्सी एवं टैम्पो आदि।
- **तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेड/पाठ्यक्रम** प्रमाण–पत्र, स्नातक एवं उच्चस्तर के जैसे इंजिनियरिंग. प्रबंधन, मेडिसन, नर्सिंग, कम्प्यूटर इत्यादि के तकनीकी. व्यावसायिक एवं वोकेशनल पाठ्यक्रम।

चैनल सहभागियों (राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों/बैंकों) को उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं हेतु लाभार्थियों की पसन्द के अनुसार ऋणों का वितरण करना होता है।

निगम मुख्यतः दो प्रकार की ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान करता है।

1. सावधि ऋण योजना

i. **सामान्य ऋण योजनाः** इस योजना के तहत, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, लघु व्यवसाय/दस्तकारी और पारंपरिक व्यवसाय तथा परिवहन व सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आय सृजति करने वाले कार्यकलापों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना लागत का 85%, प्रति लाभार्थी अधिकतम रू. 15.00 लाख तक के ऋण दिए जाते है। रू. 5.00 लाख तक की ऋण राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। रू. 5.00 लाख से अधिक रू. 10.00 लाख तक 7% वार्षिक ब्याज दर तथा रु. 10.00 लाख से अधिक रु.15.00 लाख तक 8% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।

ii. **नई स्वर्णिमा योजना** : इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिए जाते हैं। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रू. 2.00 लाख है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।

iii. **शिक्षा ऋण योजना** : इस योजना के तहत, पिछड़े वर्ग के छात्रों को ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्थान मे ए.आई.सी.टी. ई, यू.जी.सी., मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आदि द्वारा स्वीकृत व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में

प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए तथा योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। भारत में अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का 90% तक और विदेश में अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम शुल्क का 85% अंशदान किया जाता है। भारत में अध्ययन के लिए अधिकतम रू. 15.00 लाख 4% वार्षिक ब्याज दर (छात्राओं के लिए 3.5% वार्षिक) पर उपलब्ध कराया जाता है। विदेश में अध्ययन हेतु रू. 20.00 लाख 4% वार्षिक ब्याज दर पर (छात्राओं के लिए 3.5% वार्षिक) ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 15 वर्ष है जिसमें मोरेटोरियम अवधि 5 वर्ष है।

2. सूक्ष्म वित्त योजना

i. **सूक्ष्म वित्त योजनाः** इस योजना के तहत, स्व–सहायता समूह (एस.एच.जी.) विशेष रूप से लक्षित समूह के मिश्रित समूहों हेतु ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना लागत का 90% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रू. 15.00 लाख है और एस.एच.जी. में प्रति लाभार्थी ऋण रू. 1.25 लाख उपलब्ध कराया जाता है। ब्याज की दर 5% वार्षिक है। इस योजना के तहत ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष तक है।

ii. **महिला समृद्धि योजनाः** इस योजना के तहत, स्व–सहायता समूह (एस.एच.जी.) विशेष रूप से लक्षित समूह की महिलाओं के समूहों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रू. 15.00 लाख है और एस.एच.जी. में प्रति लाभार्थी ऋण रू. 1.25 लाख उपलब्ध कराया जाता है। ब्याज की दर 4% वार्षिक है। इस योजना के तहत ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

iii. **लघु ऋणः** इस योजना के तहत एकल व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। परियोजना लागत का 85% तक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रू. 1.25 लाख है तथा लाभार्थी द्वारा देय ब्याज दर 6% वार्षिक है। इस योजना के तहत ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

iv. **एन.बी.एफ.सी–एम.एफ.आई ऋणः** इस योजना के तहत सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा स्व–सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना लागत का 90% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रू. 15.00 लाख है और एस.एच.जी. में प्रति लाभार्थी ऋण रू. 1.25 लाख 12% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

इसके अतिरिक्त, निगम कई तरह की विकासात्मक योजनाएं भी चला रहा है :

समूहों के लिए तकनीकी उन्नयन योजना

समूहों के सदस्यों प्रमुखतः पिछड़े वर्गों के दस्तकार समूहों को सशक्त बनाने के लिए निगम ने तकनीकी उन्नयन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत निगम लक्षित समूहों के तकनीकी उन्नयन, उत्पादों और उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समूहों में क्षमता वृद्धि की सुविधा प्रदान करता है जिससे वे घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम हो। इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(क) तकनीकी उन्नयन और/या क्षमता वृद्धि हेतु औजार सहित मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए प्रति लाभार्थी रु. 30,000/– तक। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का अंश परियोजना लागत का 90% है।

ख) उद्यमीय विकास और अन्य विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रति लाभार्थी रु. 30,000/– तक। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का अंश 100% है।

ग) सामूहिक अवसंरचना/विपणन संयोजन इत्यादि की स्थापना हेतु प्रति स्व–सहायता समूह (कम से कम 10 सदस्यों के साथ) रु. 6.00 लाख तक। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का अंश परियोजना लागत का 80% है।

जागरूकता शिविर और प्रचार

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने देश के विभिन्न हिस्सों में लक्ष्य समूह के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। निगम की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निगम द्वारा समय–समय पर जागरूकता शिविर–सह–क्रेडिट शिविरों का आयोजन/प्रोयोजित किया जाता है/इसके अलावा, निगम अपनी योजनाओं के बारे में प्रचार सामग्री/सोशल मीडिया/डिजिटल मीडियों आदि के माध्यम से भी जानकारी फैलाता है।

निगरानी एवं मूल्यांकन

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का लाभार्थियों पर सामाजिक–आर्थिक स्थिति के प्रभाव का पता लगाने के लिए निगरानी के उद्देश्य से निगम निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन पर समुचित ध्यान देता है। चैनल सहभागियों को समय–समय पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने और मूल्यांकन अध्ययन प्रेक्षण/अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने की सलाह भी दी जाती है। स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव के आंकलन के लिए चालू योजनाओं का मूल्यांकन समय–समय पर किया जाता है। इकाईयों और लाभार्थियों के निरीक्षण के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के कार्मिकों द्वारा क्षेत्रों के दौरे भी किए जाते हैं।

निगम की योजनाओं के लाभार्थियों का छायांकन

निगम की ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित त्रिपुरा राज्य के लाभार्थी के साथ श्रीमती अनुपमा सूद, वरि. महाप्रबंधक (परियोजना)

निगम की ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हरियाणा राज्य का लाभार्थी

निगम की ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित गुजरात राज्य की लाभार्थी

निगम की ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित असम राज्य की लाभार्थी

निगम की ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित राजस्थान राज्य का लाभार्थी

निगम की ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हरियाणा राज्य का लाभार्थी

निगम की ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित उत्तराखण्ड राज्य का लाभार्थी

निगम की ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हिमाचल प्रदेश राज्य का लाभार्थी

सफलता की कहानियाँ

पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास और वित्त निगम

1	एससीए का नाम	पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन (बैकफिनको)
2	योजना का नाम	सामान्य ऋण योजना
3	लाभार्थी का नाम	श्री बलविंदर सिंह
4	पुत्र	श्री धरम सिंह
5	पूरा पता	हाउस सं. 106A, स्वराज नगर, वार्ड सं. व. 1, खरड़, पोस्ट/तहसील खरड़, जिला एस.ए.एस नगर
6	परियोजना विवरण	लोहार की दुकान
7	परियोजना लागत	रू. 2,00,000/–
8	ऋण राशि	रू. 1,90,000/–
9	वितरण तिथि	22.09.2021
10	ऋण लेने से पूर्व एवं पश्चात् आय	ऋण लेने से पूर्व कोई आय नहीं ऋण लेकर काम शुरू करने के पश्चात् रू. 20,000/– (प्रति माह)
11	संपर्क नंबर	9803377503

मैं बलविंदर सिंह पुत्र श्री धरम सिंह निवासी मकान नं. 106ए, स्वराज नगर, वार्ड नं. 1, खरड़, डाकघर एवं तहसील खरड़, जिला एसएएस नगर का रहने वाला हूं। मैं लुहार जाति से हूं, जो पंजाब सरकार द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आती है। कोविड के दौरान मेरा काम पूरी तरह ठप हो गया। आर्थिक तंगी के कारण मैं कच्चा माल नहीं खरीद पा रहा था। मैंने यह व्यवसाय छोड़ दिया और रोजगार की तलाश करने लगा। एक रोजगार मेले के दौरान, मुझे पता चला कि पंजाब बैकफिनको एनबीसीएफडीसी के सहयोग से पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करता है। मुझे जिला एसएएस नगर के फील्ड स्टाफ से भी योजनाओं की जानकारी मिली। मैं भी एनबीसीएफडीसी योजना के तहत ऋण लेकर अपने लोहे के व्यवसाय को मजबूत करना चाहता था। फिर मैंने पंजाब बैकफिनको जिला स्तरीय कार्यालय, एसएएस नगर से संपर्क किया और ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भरा और फिर मुझे 22.09.2021 को 1,90,000/– रुपये का ऋण मिला। उसके बाद मैंने कच्चा माल खरीदकर अपना लोहार का व्यवसाय शुरू किया और मेरा व्यवसाय अच्छा चल गया।

ऋण लेने से पहले मेरी आय बिलकुल नहीं थी और ऋण मिलने के बाद मेरी आय लगभग 20,000/– रुपये प्रति माह हो गई है। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, मेरी जीवनशैली बदली है और सामाजिक मानक भी बढ़े हैं। मैं अपने ऋण की किश्त भी समय पर जमा कर रहा हूं। मासिक खर्चों एवं ऋण की अदायगी के अतिरिक्त हर महीने बचत भी हो रही है। मैं और मेरा परिवार ऋण देने के लिए एनबीसीएफडीसी एवं पंजाब बैकफिनको का आभारी है।

केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कारपोरेशन

1	एससीए का नाम	केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कारपोरेशन
2	योजना का नाम	सूक्ष्म वित्त योजना
3	लाभार्थी का नाम	सूर्य कुडुम्बश्री
4	प्रधान	सीडीएस मीनांगडी
5	पूरा पता	सूर्य कुडुम्बश्री, चूथुपारा, पो. वायनाड
6	परियोजना विवरण	मुर्गीपालन फार्म
7	परियोजना लागत	रू. 10,00,000/–
8	ऋण राशि	रू. 7,00,000/–
9	वितरण तिथि	03.06.2020
10	ऋण लेने से पूर्व एवं पश्चात् आय	ऋण लेने से पूर्व कोई आय नहीं ऋण लेकर काम शुरू करने के पश्चात् रू. 1,00,000/– प्रति माह
11	संपर्क नंबर	9656582832

मीनांगडी ग्राम पंचायत में 7 सदस्यों वाली सूर्य कुडुम्बश्री इकाई गठित की। हम सभी आर्थिक रूप से गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। आत्मनिर्भर बनना और सामाजिक हैसियत हासिल करना हमारा एक सपना था। कई व्यापारिक उद्यम हमारे सामने आये लेकिन मुख्य बाधा प्रारंभिक पूँजी थी। यहाँ तक कि छोटे व्यवसाय उद्यमों को भी बड़ी पूँजी की आवश्यकता होती है। हमें अपने चेयरपर्सन से KSBCDC द्वारा NBCFDC की योजना के अंतर्गत दिए जा रहे सूक्ष्म वित्त ऋण के बारे में पता चला। अंत में हमने चूथुपारा में मुर्गीपालन फार्म शुरू करने का फैसला किया। हमारी इकाई ने KSBCDC से NBCFDC की सूक्ष्म वित्तीय योजना के तहत ऋण का आवेदन किया तथा दिनांक 03.06.2020 को रू. 7,00,000/– की ऋण राशि प्राप्त की गयी।

ऋण से हमने मुर्गीपालन फार्म शुरू किया तथा हमारा व्यवसाय चल पड़ा। मुर्गीपालन फार्म अब लाभप्रद चल रहा है और औसतन रू. 1,00,000/– प्रति माह का लाभ मिल रहा है। हमारे उद्यम की सफलता हमें दिखाती है कि बुद्धिमानी और समय पर निर्णय किसी भी अवसर को एक बड़ी सफलता बना सकते हैं। हम अवसरों को सबसे बड़ी उपलब्धियों में बदलने में सफल हुए हैं। ऋण की चुकौती नियमित रूप से की जा रही है और समूह बहुत खुश है क्यूंकि नियमित आय हो रही है तथा हम अपने परिवार के खर्चों को पूरा कर रहे हैं। हमें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम बहुत कम ब्याज दर ऋण देने के लिए NBCFDC एवं KSBCDC के बहुत आभारी हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी से सरकारी तंत्र में क्रांति

- सुजय पी. जॉन
मु. प्रबंधक (प्रशा.)

भारत में पिछले कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को लेकर अत्यधिक विकास हुआ है। लगभग हर व्यवसाय में, सरकारी कार्यों आदि में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर योगदान रहा है। सरकारी कार्यों में तो इस क्षेत्र के कारण एक क्रांति आ गई है।

कुछ वर्षों पहले तक सरकारी कार्यों को भौतिक रूप से ही करने का प्रावधान हुआ करता था जिसके चलते कार्यों में विलम्ब भी हुआ करता था। कार्यालयों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को अपने नियमित अधिकारिक कार्यों में प्रयोग कर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास किया गया है।

पहले सरकारी फाईलों का संचालन तथा अन्य पत्राचार भौतिक रूप से होता था। परंतु सूचना प्रौद्योगिकी के चलते अब फाईलों तथा अन्य कार्यों का संचालन/स्वीकृति/अनुमोदन सभी कुछ ई–फाईल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में फाईलों आदि के कार्य बिना किसी विलम्ब के कार्य पूर्ण होते हैं तथा इनका स्टेटस सरलता से किसी भी अधिकारी के द्वारा देखा जा सकता है जिससे कार्यों में तीव्रता आई है। कार्यालयों की सपूंर्ण कार्यविधि में सकारात्मक परिवर्तन लाकर सूचना प्रौद्योगिकी ने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन व संचालन में भी सूचना प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान रहा है। हितग्राहियों को अब योजनाओं का लाभ मिलने में विलम्ब नहीं होता है। कुछ योजनाओं का लाभ तो हितग्राहियों तक सीधे पहुंचता है। सरकारी योजनाओं का डिजिटलाईज़ेशन कर दिया गया है। कर्मचारियों के कार्यों में सुगमता तथा तीव्रता लाने में सूचना प्रौद्योगिकी ने अपना योगदान दिया है

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने भी पिछले कुछ वर्षों से सूचना प्रौद्योगिकी की इस क्रांती में बढ़–चढ़कर भाग लिया है।

निगम के प्रत्येक विभाग ने अपने नियमित कार्यों को करने के लिए अब सूचना प्रौद्योगिकी को ही माध्यम चुन लिया है। निगम के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों ने स्वयं के प्रयासों से 'लोन एंड एंप्लाएज़ सूचना ऑटोमेशन प्रोजैक्ट (लीप)' सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसका प्रयोग अन्य अनुभागों द्वारा भी अपने–अपने कार्यों के लिए किया जा रहा है। लीप सॉफ्टवेयर को और भी अधिक विकसित करने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग के प्रयासों से निगम के सभी अनुभाग सभी फाईलें तथा अन्य कार्यों को संचालन ई–ऑफिस के माध्यम से ही कर रहे हैं।

निगम के मानव संसाधन अनुभाग ने कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर के स्थान पर अब बायो–मैट्रिक/जियो–टैग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे कर्मचारियों की उपस्थिति/अवकाश आदि के कार्य का भी डिजिटलाईज़ेशन हो गया है। कर्मचारियों द्वारा अपना सैल्फएप्रेज़ल भी अब लीप सॉफ्टवेयर पर ही पूर्ण किया जाता है तथा कर्मचारियों की अन्य संबंधित जानकारियां भी अब लीप सॉफ्टवेयर पर देखी जा सकती हैं।

कौशल विकास अनुभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'पीएम–दक्ष योजना' का भी सारा कार्य अब पीएम–दक्ष पोर्टल पर ही किया जा रहा है जिसमें कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षु के पंजीकरण से लेकर उनको रोज़गार दिलाने तक आदि की सभी जानकारियां डाली जाती हैं।

निगम के प्रोजैक्ट विभाग द्वारा भी 'लीप सॉफ्टवेयर' के माध्यम से सभी संबधित जानकारियां दी जाती हैं जैसे – वार्षिक एक्शन प्लान, नोशनल एलोकेशन, लैटर ऑफ इंटेंड, ड्रॉल रिक्वेस्ट आदि। निगम के वित्त विभाग द्वारा ऋण जारी करने, कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों आदि का कार्य भी अब डिजिटलाईज़ड कर दिया गया है।

वित्त विभाग भी सभी संबंधित कार्यों को डिजिटल माध्यम से ही कर रहे हैं जैसे–ऋण का वितरण करना, उपयोगिता प्रमाण पत्र, मांग पुनः शेड्यूल आदि।

निगम ने भारत सरकार के इस प्रण को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दिया है जिसमें यह कहा गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी को अपने कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाए।

अतः यह कहना उचित होग कि सूचना प्रौद्योगिकी देश में एक डिजिटल – क्रांति लेकर आई है और निश्चित ही भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी ही देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का छायांकन

ऋण वसूली (पुनःप्राप्ति) तंत्र

- ***नरेश कुमार***
वरि. प्रबंधक (वित्त)

जैसे शरीर को चलाए रखने हेतु रक्त का रक्तवाहनियों में सुचारू रूप से चलना आवश्यक है उसी प्रकार किसी भी वित्त संस्था द्वारा दिए गए ऋण की पुर्नप्राप्ति व भविष्य में और अधिक ऋण प्रदान करना व संस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु अति आवश्यक है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम जिसकी स्थापना 13 जनवरी, 1992 को हुई थी, को अभी तक भारत सरकार से प्राधिकृत अंश पूंजी रू. 1500 करोड़ के सापेक्ष रू. 1499.40 करोड़ प्राप्त हुए एवं ऋण के पुनर्भुगतान का अच्छे से उपयोग करते हुए अभी तक रू. 6232.84 करोड़ ऋण के रूप लाभार्थियों को उपलब्ध करवाए गए हैं; जो कि अंश पूंजी का 4.16 गुणा अधिक है। यह सब निगम की अच्छी/सर्वोतम प्रबन्धन नीति/अभ्यास का नतीजा है निगम की देनदारी/चैनल पार्टनर से पुर्नप्राप्ति 98.42% है जो कि समान कार्य करने वाले संगठनों से सर्वश्रेष्ठ है।

वसूली तंत्र – वसूली तंत्र उधारकर्ताओं द्वारा चुकाने में विफलता थी स्थिति में वित्तिय परिसंपत्ति थी बहाल करने के लिए आवश्यक वसूली प्राक्रियाओं और तंत्र को पूरा करने की एक प्रक्रिया है।

जब उधारकर्ता ऋण देने वाली संस्था को ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, तो ऋण वसूली प्रक्रिया आरम्भ करता है।

निगम द्वारा अपनाए जाने वाले वसूली के प्रकार/तरीके –

क – गैर–न्यायिक माध्यम से

ख – न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से

क – गैर न्यायिक माध्यम से निगम द्वारा चैनल पार्टनर को सामान्य ऋण समझौता के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। चैनल पार्टनर द्वारा ऋण के उपयोग (लाभार्थियों को आय सृजन ऋण योजना) के पश्चात एक मानक चुकौती अनुसूची (Standard Repayment Schedule) दी जाती है जिसके अनुसार चैनल पार्टनर से ऋण पुनःप्राप्ति ब्याज सहित मांग सूचना पत्र भेजा जाता है। एक समय कर पुनःप्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। इनमें से कुछ चैनल पार्टनर समय पर अपने देय ऋण की अदायगी कर देते हैं। कुछ आंशिक भुगतान करते हैं एवं कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाते।

भुगतान न कर पाने के मुख्य कारण :

1. अति वित्त पोषण
2. चैनल पार्टनर का लाभार्थियों से सम्पर्क न होना
3. चैनल पार्टनर द्वारा ऋण भुगतान के प्रति उदासीनता एवं ऋण को मदद समझना
4. लाभार्थियों द्वारा ऋण भुगतान के प्रति उदासीनता एवं ऋण को मदद समझना
5. राज्य सरकार द्वारा राज्य इकाई/चैनल पार्टनर को आवश्यक वित्त सहायता न उपलब्ध करवाना इत्यादि

ऋण चुकौती में चूक की स्थिति में राष्ट्रीय निगम चैनल पार्टनर से भुगतान की देरी तक दंडात्मक ब्याज भी लिया जाता है, जिससे की चैनल पार्टनर समय पर ऋण का भुगतान कर सकें व निगम को पुनर्भुगतान राशि समय पर मिल सके।

ऋण चुकौती में चूक की स्थिति में भविष्य में ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जाता है जिससे उक्त राज्य में इच्छुक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता।

क. गैर–न्यायिक माध्यम से

ऋण चुकौती में चूक की स्थिति में सम्बन्धित राज्य सरकारों को पत्राचार/क्षेत्रीय बैठक/निगम के अधिकारियों द्वारा राज्य का दौरा करने के दौरान सम्बन्धित चैनल पार्टनर व राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत कर भुगतान का समाधान निकाला जाता है।

विशेष परिस्थिति में चैनल पार्टनर को निगम की ऋण योजना के अतिदेय का आस्थगन (Deferment & overdue loan) का प्रस्ताव भी दिया जाता है जिससे चैनल पार्टनर अपने वित्तीय ढांचे को सृदृढ़ कर अतिदेय राशि का भुगतान कर सकें व भविष्य में समय पर देय राशि का भुगतान सुनिश्चित कर सकें।

समय पर भुगतान करने पर राष्ट्रीय निगम चैनल पार्टनर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सशर्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

राष्ट्रीय निगम की एकल निस्तारण योजना (One Time Settlement) के अर्न्तगत चुकौती मे चूक करने वाले चैनल पार्टनर को अतिदेय ऋण के भुगतान का मौका प्रदान करती है। जिसके अर्न्तगत देय दंडात्मक ब्याज व प्राप्त दंडात्मक ब्याज में छूट का प्रावधान है इसके अतिरिक्त चैनल पार्टर को योजना के अर्न्तगत स्वीकृति की तिमाही में तुरन्त अतिदेय राशि का भुगतान किया जाता है तो 3% वार्षिक की दर से 9 महीने का प्रोत्साहन ब्याज राशि का भुगतान किया जाता है; जिससे चुकौती में चूक वालें इस प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकें। इस योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जिस पर RBI के निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड निगम के अनर्जक आस्तियों पर (N.P.A.) लागू नही होते परन्तु निगम के निदेशक मण्डल ने N.P.A. का प्रावधान करने के लिए स्वयं के मानंदड बनाए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं :

जहां पर अतिदेय धनराशि तीन वर्षों से अधिक के लिए बकाया है एवं राज्य सरकारों के आदेश/ गारंटी अथवा अन्य सिक्योरिटी में कवर नहीं हैं, उक्त अतिदेय ऋणों एवं उस पर ब्याज की प्रत्याशित क्षति का प्रावधान चूक की सभांव्यता के आधार पर तैयार किए जाएगें।

अवधि जिसके लिए बकाया है	चूक की सभांव्यता
1 वर्ष तक	15%
1 से 3 वर्ष	25%
3 वर्ष से अधिक	10%

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई आदेश/गारंटी अथवा अन्य सिक्योरिटी कवर नही हैं एवं वर्ष के दौरान कोई राशि पुनःप्राप्त नहीं हुई है, तो 100% के आधार पर एन.पी.ए. की गणना की जाएगी।

ख. न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से

उपरोक्त 'क' के अनुसार काई भी चैनल पार्टनर चुकौती में चूक करता है एवं भुगतान करने में आनाकानी करता है। उक्त चैनल पार्टनर से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गए सरकारी आदेश व गारंटी को आह्वान की प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है। जिसके अर्न्तगत सर्वप्रथम कानूनी सलाहकार माध्यम से भुगतान आतिदेय के शीघ्र भेजने का अनुरोध किया जाता है। यह प्रक्रिया तीन बार दोहराई जाती है तत्पश्चात कोई भुगतान न प्राप्त या कोई पत्राचार होने की स्थिति में पंच/जज (अवकाश प्राप्त) के माध्यम से भुगतान को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है जिसमें दोनों पक्ष अपना–अपना पक्ष रखते है। पंच के निर्णयानुसार चुकौती में चूक वाले चैनल पार्टनर का पुर्नभुगतान करने की सिफारिश की जाती है। यदि फिर भी पुनप्राप्ति (अविदेय) की नही होती है तो गारंटी स्वीकृत आदेश को माननीय उच्च न्यायलय में पंच के निर्णण को लागू करने की कार्यवाही की जाती है।

आय सृजन का माध्यम- निगम की प्रशिक्षण योजना

- रंजना
प्रबंधक (कौ.वि.)

करत–करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
रसरी आवत जात, सिल पर करत निशान।।

उक्त पंक्तियाँ एक महान कवि द्वारा लिखी गई हैं। जिसका अर्थ है अभ्यास के माध्यम से मंद बुद्धि का व्यक्ति भी ज्ञानवान हो सकता है। जिस प्रकार से पत्थर पर रस्सी के आने–जाने से अर्थात् रगड़ने से पत्थर की शिला पर निशान बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अभ्यास व्यक्ति को कार्यक्षम बना सकता है। अभ्यास के माध्यम से अपने हुनर को विकसित करने की यह प्रक्रिया अति प्राचीन है। हम सभी ने अर्जुन के निशाने के बारे में अवश्य सुना है। अर्जुन अभ्यास के माध्यम से इतने बड़े धनुरधारी बन गए थे कि वे मात्र कुछ संकेत प्राप्त करने पर ही सही निशाना लगा देते थे। इसी प्रकार से हर तरह के खेल, तकनीकी कार्य इत्यादि में अभ्यास अपनी अहम भूमिका अदा करता है। जिसका जितना अधिक अभ्यास होता है वह उतनी की शीघ्रता से व गुणवत्तापूर्वक कार्य संपन्न करने में सफल होता है।

आधुनिक समय में भी इसी अभ्यास की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब, अभ्यास में शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों को सम्मिलित किया जाता है जिससे व्यक्ति अपनी विधा में संबंधित थ्योरी के समस्त भाग को समझ सके व अभ्यास के माध्यम से उसमें निपुणता हासिल कर सके।

निगम में संचालित कौशल विकास योजना ''पी.एम.–दक्ष'' भी इसी प्रकार का एक प्रयास है। जिसमें शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उसके चयनित क्षेत्र में कार्य करने हेतु निपुण बनाया जाता है जिससे उसे स्व–रोजगार अथवा रोजगार प्राप्त हो सके और वह आत्मनिर्भर बन सके।

निगम ने अपने प्रशिक्षण कार्यों की शुरूआत वर्ष 2001 से की। आरंभ में प्रशिक्षण का दायता मात्र कुछ ट्रेडों एवं प्रशिक्षण संस्थानों तक ही सीमित था और निगम अपने आंतरिक संसाधनों से ही लक्षित वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान कराता था। धीरे–धीरे प्रशिक्षण के कार्यों को गति प्राप्त हुई और आदरणीय प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में बनी सरकार ने प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया और प्रशिक्षण कार्य ने गति पकड़ी। इसी प्रकार से, निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत भी लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों ने अपना लाभांश प्रशिक्षण मद में खर्च करना आरंभ किया जिससे प्रधानमंत्री के ''कुशल भारत'' अभियान को और भी गति प्रदान की।

कौशल विकास कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पी.एम. दक्ष) योजना वर्ष 2020–21 में चालू की गयी तथा तभी से निगम द्वारा 'पी.एम. दक्ष योजना' के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि हाशिये पर रह रहे व्यक्तियों को कौशल विकास के और अवसर प्राप्त हो सके एवं वे आत्मनिर्भर हो सकें। इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम हेतु 100 प्रतिशत राशि निगम द्वारा वहन की जाती है तथा गैर आवासीय प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का खर्च इत्यादि हेतु प्रशिक्षणार्थियों को रु. 1000/ प्रति माह का मानदेय भी दिया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष तक के सभी पात्र व्यक्ति जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.बी.सी.) एवं गैर–अधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध घुमंतू (डी.एन.टी.) समुदाय के हों, लाभ उठा सकते है एवं जिन्होंने 5वीं तक शिक्षा प्राप्त की है वे व्यक्ति भी इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 100 से भी अधिक जॉब रोल जैसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग, फैशन डिजाइनिंग, मिलिंग, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटी थेरापिस्ट, हैंडीक्राफ्ट आदि में कराये जाते हैं जिसमे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है ताकि प्रशिक्षणार्थी कार्य में सक्षम हो सकें। निगम द्वारा कराये जाने वाले ये सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किये गए मापदंडो के अनुसार कराए जाते हैं तथा ये कार्यक्रम अधिकतर सरकारी संस्थानों द्वारा कराए जाते हैं। पी.एम. दक्ष के अंतर्गत निगम द्वारा अब–तक कुल 33,906 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है एवं प्रशिक्षण के पश्चात रोज़गार व स्व–रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

इस योजना के सुचारू संचालन, बेहतर पहुँच, मॉनिटरिंग इत्यादि हेतु ''पी.एम. दक्ष'' पोर्टल एवं ऐप भी लांच किया गया है। पोर्टल की मदद से अभ्यार्थी घर बैठे ही अपनी रूचि के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही वे अपने दस्तावेज़ भी पोर्टल पर ही अपलोड कर सकते है। पोर्टल के माध्यम से ही साइक्रोमेट्रिक टेस्ट आयोजित कर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति ए–1 बेस्ड ऐप के माध्यम से ली जाती है व पोर्टल पर भी इसकी जानकारी उपलब्ध होती है। ''पी.एम. दक्ष'' पोर्टल एवं ऐप की मदद से निगम द्वारा बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाती है। पी.एम. दक्ष पोर्टल एवं ऐप के माध्यम से दूर दराज़ के इलाको में रह रहे अभ्यर्थियों तक भी योजना पहुँच पाना संभव हो पाया है। इस योजना के माध्यम से निगम द्वारा हाशिए पर रह रहे प्रशिक्षणार्थियों के लिए गुणवत्ता पूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जा रहा है।

इस प्रकार से, निगम की कौशल विकास प्रशिक्षण योजना 'पी.एम.–दक्ष' समाज के पात्र व्यक्तियों को उनके कौशल में निपुणता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रही है। आशा है, भविष्य में हम और तेजी से पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच बनाकर उनके लिए रोजागार एवं स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सफल हो सकेंगे।

सफलता की कहानियाँ (कौशल विकास)

नाम	कृष्ण पाल
प्रशिक्षण संस्थान उद्यम का नाम	प्रोसेस एण्ड प्रोडक्टस डेवलपमेंट सेंटर (PPDC) विशाल स्पोर्टस प्रा.लि.
पता	टाटा टॉवर के पास, शिवपुरम, मेरठ–250002
संपर्क	मोबाइल : 8171695225
ई–मेल	vishalsportsmrt09@gmail.com
योजना	पी. एम. दक्ष योजना
पाठयक्रम का नाम	क्रिकेट बैट विनिर्माण में प्रमाण–पत्र पाठयक्रम
प्रायोजक	नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
पाठयक्रम पूरा करने की तिथि	08.04.2021

श्री कृष्ण पाल पुत्र अंगूर सिंह का जन्म मेरठ जिले में हुआ था। वह समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं। वह एक गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने मोहल्ले के स्थानीय स्कूल से की है। दुर्भाग्य से, वह 8वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके। उन्हें अपने भविष्य के बारे में फैसला करना था और उन्होंने तय किया कि वह खुद को प्रशिक्षित करेंगे और अपना काम खुद करेंगे।

उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए खोज करनी आरंभ की। उन्हें पीपीडीसी, मेरठ के बारे में पता चला कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से पीपीडीसी, मेरठ पहुंचे। उन्होंने क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग कोर्स सर्टिफिकेट हेतु ज्वाइन किया। उन्होंने कौशल विकास के लिए कड़ी मेहनत की और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पाठयक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए पूरा प्रयास किया।

कार्यक्रम के सफल समापन के बाद, उन्होंने स्वयं मेरठ में विशाल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से निर्माण कार्य शुरू किया।

वर्तमान में वह लगभग रू. 30,000 प्रति माह कमा रहे हैं।

वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पीपीडीसी, मेरठ और एनबीसीएफडीसी के बहुत आभारी हैं।

नाम	रवि कुमार
पता	सेमलखलिया, पीओ–रामनगर, तहसील– रामनगर, जिला–नैनीताल, उत्तराखंड
ई–मेल	ravi2008@gmail.com
मोबाईल	9756369084
प्रशिक्षण केन्द्र	इलेक्ट्रानिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर (ई.एस.टी.सी.), रामनगर, नैनीताल
कोर्स का नाम	सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्वपमेंट रिपेयरिंग एण्ड मेंटिनेंस
कोर्स पूरा होने का वर्ष	2021

श्री रवि कुमार ग्राम– सेमलखलिया, पीओ–रामनगर, तहसील– रामनगर, जिला–नैनीताल, उत्तराखंड में स्थित एक गरीब परिवार से हैं। उनकी शिक्षा 12वीं पास है। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वह 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। सौभाग्य से उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित ओबीसी/ईबीसी उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयरिंग एण्ड मेंटिनेंस में प्रशिक्षण के लिए ई.एस.टी.सी. का विज्ञापन देखा। उसी के अनुसार उन्होंने आवेदन किया और इस प्रशिक्षण के लिए चयनित हो गए। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईमानदारी से भाग लिया और सफलतापूर्वक पूरा किया।

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनका नियोजन जे.बी.एम. ग्रुप में ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल के रूप में हुआ है और उन्हें रू. 10,700/– मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है। अब रवि कुमार और उनका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

कौशल विकास कार्यक्रम का छायांकन

मधुबनी, बिहार में ज़रा देखभालकर्ता ट्रेड के अंतर्गत उद्घाटन अवसर पर भाग लेते श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक (कौशल विकास)

सीपेट, लखनऊ में प्लास्टिक प्रोद्योगिकी का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षार्थी

टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहटी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षार्थी

हिमकॉन के माध्यम से कामपुर, गुवाहटी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षार्थी

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के अधिकारी जी.डी. गोयनका यूनीवर्सिटी के माध्यम से गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में जैरियाटिक केयर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों के साथ

हिमकॉन के माध्यम से मेघालय में शिलांग, जिला–पूर्वी खासी हिल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षार्थी

आई.आई.ई. गुवाहटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षार्थी

हिमकॉन के माध्यम से कुट, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षार्थी

आगे बढ़ती, हमारी हिन्दी

- ***मो. जावेद अहमद खाँ***
स. प्रबंधक (राजभाषा)

हिन्दी लगातर बढ़ रही है। उसकी गति भले ही थोड़ी धीमी हो किन्तु वह आगे बढ़ अवश्य ही रही है। लोग अब हिन्दी का महत्व समझने लगे हैं। चाहे व्यवसाय की प्रगति हो या राजनीतिक प्रगति, अब यह तथ्य सर्वमान्य हो चला है कि हिन्दी के बिना बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती है। न माल/सामान बिक्री की दर में बढ़ोत्तरी हो सकती है और न राजनीति के अगले पायदान की।

हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रयासरत् हैं। सरकारी कार्यालयों में भी हिन्दी आगे बढ़ रही है, उसका प्रयोग बढ़ रहा है। चाहे पत्राचार हो या टिप्पण लेखन सभी में इसका प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। वर्तमान समय, कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के लिए ''स्वर्णिम युग'' है। इस युग में हमारी केन्द्रीय सरकार, उसके मंत्रीगण सभी हिन्दी पर बल दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस मामले में एक मिसाल कायम की है। वे हिन्दी भाषी क्षेत्र से न होते हुए भी ऐसी धाराप्रवाह हिन्दी बोलते हैं जो अनायास ही सुनने वालों को मोहित कर लेती है। उनके वक्तव्यों में शब्दों का चयन एवं वाक्य संरचना अद्वितीय होती है, जो यह सोचने पर विवश करती है कि उन्होंने हिन्दी भाषा के लिए कितना परिश्रम किया होगा। अभी हाल ही में, हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है। इस नीति में हिन्दी सहित तमाम देशज भाषाओं में अध्ययन–अध्यापन करने पर बल दिया गया है। कई राज्यों ने मेडिकल पढ़ाई के लिए हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इस प्रकार के प्रयत्न जारी हैं और ऐसे प्रयासों से हमारी हिन्दी आगे बढ़ रही है। अतः ऐसे कालखण्ड में जब हमारी केन्द्र सरकार हिन्दी पर इतना बल दे रही है तो उसके परिणाम केन्द्रीय कार्यालयों में परिलक्षित होना स्वाभाविक ही है।

वैसे, जब गैर–हिन्दी भाषी लोग हिन्दी बोलने का प्रयत्न करते हैं तो उनकी हिन्दी सुनने का आनंद अलग ही होता है। किन्तु इसे सिर्फ यहाँ तक ही सीमित करना उचित नहीं है, अपितु कोई कारक है जो उन्हें हिन्दी बोलने के लिए उपयुक्त बल लगा रहा है। किस प्रकार से वे हिन्दी के शब्दों का उच्चारण करते हैं, वाक्य संरचना तैयार करते हैं और अभिव्यक्ति करते हैं, ये सब अतुल्य होता है। शायद, यह हिन्दी की श्रेष्ठता है कि भारत भूमि पर बोली जाने वाली किसी भी भाषा से वह अनायास ही अपना नाता जोड़ लेती है और मात्र थोड़े प्रयास से ही वह जिव्हा पर प्रवाहित होने लग जाती है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी किसी भी अन्य भारतीय भाषा की प्रतिद्वंदी तो कदापि नहीं है। मुझे तो लगता है हिन्दी अन्य भाषाओं की बड़ी बहन के रूप में है जो सभी भाषाओं को अपना आलिंगन करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं रखती है। इस संबंध में इस वर्ष सितम्बर माह में सूरत, गुजरात में आयोजित ''हिन्दी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन'' में आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा इस बात को रेखांकित किया गया कि ''हिन्दी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की प्रतिद्वंदी नहीं अपितु सहोदर है''।

भारतीय सिनेमा ने तो बहुत पहले से हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई है। धीरे–धीरे विभिन्न टी.वी. कार्यक्रमों, समाचार चैनलों, विज्ञापनों आदि में हिन्दी ने अपना प्रमुख स्थान बना लिया है। बहुत से कार्टून चैनलों, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी आदि चैनलों ने अपनी मनपसंद भाषा में चैनलों को देखने के विकल्प प्रस्तुत कर दिए हैं, इनमें हिन्दी भी प्रमुख है। दिल्ली मैट्रो में प्रवेश से लेकर बाहर निकलने तक हर जगह हमें हिन्दी में लिखे हुए विभिन्न निर्देश दिखाई पड़ते हैं। इन तमाम माध्यमों से हिन्दी आगे बढ़ रही है।

संचार तकनीकि ने भी हिन्दी कार्य को गति प्रदान की है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुवाद हेतु विकसित किया गया टूल 'कंठस्थ' एवं ई–शब्दकोष, कंप्यूटरों पर विभिन्न प्रकार के शब्दकोष, टाइपिंग के लिए 'गूगल इनपुट टूल' और हिन्दी अनुवाद के लिए 'गूगल अनुवाद' आदि ने हमारे कार्य को आसान बना दिया है। इन सभी का विवेकसंगत प्रयोग हमें हिन्दी में गुणवत्तायुक्त कार्य

करने में सहायता कर रहा है और इस माध्यम से भी हिन्दी आगे बढ़ रही है।

कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की उत्तरोत्तर वृद्धि में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य कर रहे नराकास की भूमिका भी अत्यंत अहम है। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करना, छमाही रिपोर्टों के माध्यम से समीक्षा करना, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन देना आदि कदम अत्यंत प्रभावी बन रहे है। इसके साथ ही साथ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट व समय–समय पर निरीक्षणों के माध्यम से निगरानी करना व निर्देश जारी करना भी महत्वपूर्ण है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी समय–समय पर निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं जिससे हमें अपनी कमियों को दूर कर और बेहतर कार्यनिष्पादन का अवसर प्राप्त होता है। निःसंदेह इससे कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग को गति मिल रही है। एक अन्य अति महत्वपूर्ण विभाग है जिसके उल्लेख के बिना हम समस्त प्रयासों को फलीभूत नहीं कर सकते हैं और वह है – संसदीय समिति का कार्यालय। इस कार्यालय के माध्यम से आवधिक रूप से एक वर्ष, दो वर्ष अथवा तीन वर्षों में कार्यालयों का निरीक्षण करना। जैसा कि हम सभी विदित हैं, इस समिति में संसद के माननीय सदस्य होते हैं और प्रश्नावली पर जवाब कार्यालय प्रमुख द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार से समीक्षा एवं निरीक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यालयी प्रयोग में हिन्दी लगातार बढ़ रही है।

कई बार हमारे सहकर्मियों द्वारा यह भी कहते हुए सुना जाता है कि आखिर हिन्दी में कार्य करने से क्या लाभ? कार्य को तो पूरा करना है, उसकी भाषा का कार्यनिष्पादन से क्या लेना–देना है?? इस संबंध में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बोली जानी वाली भाषा हिन्दी ही है और जो लोग हिन्दी को ठीक प्रकार से बोल या लिख नहीं सकते हैं, वे उसको काफी हद तक समझते तो अवश्य हैं। दूसरा, हमारे कार्यालय में जो नीतियाँ, कार्यक्रम इत्यादि तैयार किए जाते हैं, उनका सरोकार आम जनता से ही होता है। जमीनी स्तर पर उन नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए हमें आम जनता के बीच ही जाना होता है। यदि हमारी नीतियाँ और कार्यक्रम आम जनता की भाषा में तैयार नहीं किए जाएंगे, तो उनकी जानकारी उन तक पहुंचा पाना संभव नहीं हो सकता है। सूचना अधिकार अधिनियम के आ जाने के उपरांत अब सामान्यतः किसी भी दस्तावेज को किसी भी नागरिक को उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है। अतः उन्हें यह जानकारी उस भाषा में उपलब्ध कराई जा सके जिसे वे समझ सकें। इस प्रकार से हिन्दी भाषा एक माध्यम है जो सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यालयों की वेब–साइट को द्विभाषी अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार करना आवश्यक कर दिया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने हित की जानकारी प्राप्त कर सके।

हिन्दी आगे बढ़ रही है, फिर भी हमें हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए इसे अनवरत गति देनी होगी। कार्यालयों में यह कार्य राजभाषा विभाग से जुड़े हुए कार्मिकों को करना होगा। उन्हें अपने सहकर्मियों को समझाना होगा कि हिन्दी में कार्य करना हमारा संवैधानिक दायित्व है और संवैधानिक दायित्वों को अन्य दायित्वों पर वरीयता प्राप्त होती है। उनके अंदर अंग्रेजी की श्रेष्ठता और हिन्दी भाषा के प्रति हीनभावना, यदि कोई हो, उसे दूर करनी होगी। फाइलों पर अंग्रेजी के प्रचलित या तकनीकी शब्दों को देवनागिरी लिपि में लिखने को प्रेरित करना होगा। ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जिससे एक–एक कार्मिक की निगरानी हो सके कि वह कहाँ पर हिन्दी में कार्य नहीं कर पाता है, उसका समाधान करना होगा। हमारी सजगता, सन्निकटता और निगरानी हमारे दायित्वों की पूर्ति कर सकती है और हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज़्ज़त करता हूं,
पर मेरे देश में हिन्दी की इज़्ज़त न हो,
ये मैं सह नहीं सकता

– आचार्य विनोबा भावे

सफलतापूर्वक कार्यनिष्पादन के कुछ नुस्खे

कार्यालयी कार्यों में कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन अति आवश्यक होता है। सफलतापूर्वक कार्यनिष्पादन के लिए कार्य से संबंधित नीतियों एवं गाइडलाइन्स का ज्ञान, कार्ययोजना तैयार करना एवं उपयुक्त कौशलयुक्त कार्मिकों का चयन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य कारक, जिनमें व्यक्तिगत कारण एवं व्यवहार संबंधी कारक भी हो सकते हैं, जो हमारे कार्य को प्रभावित करते हैं। आइए संक्षेप में इन्हें जाने :

❖ **अध्ययन:** अध्ययन के माध्यम से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहें। कार्य से संबधित नियमों, विनियमों एवं गाइडलाइन्स का अच्छी तरह से अध्ययन करें। जो बिन्दु समझ में न आए हों, उनपर वरिष्ठ अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

❖ **समय प्रबंधन:** काम के लिए बेहतर समय प्रबंधन करें। अधिक समय लगाकर किया गया कार्य आगे किए जाने वाले अन्य कार्यों को विलंबित करता है। अतः उपयुक्त समय पर किया गया कार्य ही सफल माना जाता है।

❖ **वरीयता सूची:** सभी कार्यों की वरीयता सूची बनाएं। पहले से बाद में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करें तथा आवश्यकतानुसार इनके वरीयताक्रम को बदलते रहें। कार्य को इकट्ठा करने से बचें और निर्धारित वरीयता के अनुसार ही कार्य करें।

❖ **नियमों, विनियमों एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन:** नियमों, विनियमों एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन करें तथा जहाँ स्पष्टता का अभाव हो, अपने वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन लें। फिर भी; यदि समाधान के दूरगामी परिणाम परिलक्षित होते हों, तो उसे रिकार्ड करें।

❖ **नियमों, विनियमों एवं गाइडलाइन के मनमाने एवं पक्षपातपूर्ण अर्थ:** नियमों इत्यादि का मानमाना और पक्षपातपूर्ण अर्थ बिल्कुल न लगाएं। कार्य की प्रैक्टिस पारदर्शी होनी चाहिए।

❖ **निष्पक्षता:** कार्यों के निष्पादन में निष्पक्षता से काम करें और नियमों/विनियमों का क्रियान्वयन एकरूपता के साथ करें।

❖ **दूसरों के कार्यों को महत्व दें:** सिर्फ अपने कार्य को महत्व देना व दूसरे के कार्य का महत्व न समझना, कार्मिक की हीनभावना एवं कुण्ठा को प्रदर्शित करता है। इससे कार्य में बाधा आती है।

❖ **अनुशासन:** सदैव अनुशासन प्रिय रहें। कभी दूसरों के गलत कार्यों का समर्थन न करें। कार्यों में सतर्कता बरतें।

❖ **गोपनीयता:** गोपनीयता बरतने वाले कार्यों के लिए अपने स्तर पर समुचित गोपनीयता बरतें। गोपनीय कार्यों की चर्चा अपने साथियों से न करें। वैसे, आर.टी.आई. के आने के बाद सामान्य गोपनीय कार्यो का स्थान पारदर्शिता ने ले लिया है।

❖ **साफ–सफाई:** अपने बैठने के स्थान की साफ–सफाई का ध्यान स्वयं रखें। स्वच्छ वातावरण सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन की कुंजी है।

❖ **प्रसन्न रहे:** प्रसन्नचित्त होना न सिर्फ हमारे कार्य की गति को बढ़ाता है अपितु उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। प्रसन्नता, एकाग्रता को बढाता है जिससे गति एवं गुणवत्ता सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं।

उपरोक्त दिए गए बिन्दु दृष्टांतक मात्र हैं। बहुत से ऐसे कारक होते हैं, जो कार्यों के सफलतापूर्वक निष्पादन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम कार्यनिष्पादन से जुड़े ऐसे कारकों की पहचान करें जिससे उचित समय में गुणवत्तापूर्ण त्रुटि रहित कार्य संपन्न हो सके।

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी
को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है

– महात्मा गांधी

कविताएं

हाँ मैं मर्द हूँ

हाँ मैं मर्द हूँ

वो मर्द जिसे समाज ने दिए हैं
कुछ बेमाने से कर्तव्य,

कर्तव्य वो जो कांधे पर ढोने ही होते हैं,

मैं मर्द हूँ तो मुझे दर्द नहीं होना चाहिए,

मैं मर्द हूँ तो मुझे किसी भी हालात में
रोना नहीं चाहिए,

मैं मर्द हूँ तो रिश्तों को बांधे रखना
संजोकर रखना भी मुझे ही चाहिए,

मैं मर्द हूँ तो मुझे टूटना बिखरना नहीं चाहिए,

हाँ ये सब कर्तव्य मैं निभाता हूं,

न मुझे दर्द होता है, न ही मैं रोता हूं,
न ही कभी टूटता बिखरता हूं,

हाँ मेरे अंदर कुछ है जो इन सब
अहसासों को अंदर ही दबा देता है,

कहता है कि वैसे ही रहो
जैसे ज़माना चाहता है,
जग हंसाई से बच जाओगे,

हाँ मै माहिर हूँ दर्द को पी जाने में,
माहिर हूँ टूटकर बिखरकर फिर
स्वंय ही सिमट जाने में,

हाँ मैं माहिर हूँ अपने जज्बात को,
आंसुओं को पी जाने में,

हाँ मैं माहिर हूँ ज़माने के दिए
बेमाने कर्तव्यों को निभाने में।

- साजिद अख्तर
अधिकारी (प्र०नि०सचि)

सही समय कुछ कर न सका

सही समय कुछ कर न सका।

सूरज निकला, औ डूब गया,

रात गई, औ भोर भई,

जब जगना था तब जग न सका।

जब पढ़ना था तब पढ़ न सका।

सही समय कुछ कर न सका।

जो सुनना था, वो सुन न सका,

जो गुनना था, वो गुन न सका,

जो राह चला वो भटक गया,

बर्बादी से बच न सका।

सही समय कुछ कर न सका।

बंद आँख तब खुली नहीं,

सही राह अब मिली नहीं,

अंत समय कुछ गा न सका,

मरघट जाने से बच सका।

सही समय कुछ कर न सका।

- अशोक कुमार नागर
सहायक प्रबंधक (योजना)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

→ क्या → क्यों → कैसे → एक झलक

- *नीलम मुद्गल*
प्रबंधक (वित्त)

क्या –

आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली एक पहल है।

यह महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है, जिन्होनें न केवल भारत को उसकी विकास यात्रा में आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि उनके भीतर माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत 2.0 को सक्रिय करने के दृष्टिकोण को संभव बनाने की शक्ति और क्षमता भी है जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित है।

अमृत महोत्सव का ऐलान 12 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के साबरमती से किया गया था। क्योंकि 15 अगस्त, 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 75 वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले अर्थात 12 मार्च, 2021 से इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। यह कार्यक्रम 15 अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा। यहीं से महात्मा गाँधी के नेतृत्व में दांडी मार्च शुरू किया गया था।

आजादी का अमृत महोत्सव यानि–आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। यह महोत्सव, सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है, वैश्विक शांति की विकास का महोत्सव है।

पाँच स्तंभ

आजादी के अमृत महोत्सव के पाँच स्तंभ हैं :

स्वतंत्रता संग्राम :– इतिहास में मील के पत्थर गुमनाम नायकों को याद करना।

यह स्तंभ महोत्सव के अंतर्गत हमारे स्मरणोत्सव पहल की शुरूआत करता है। यह उन गुमनाम नायकों की कहानियों को जींवत करने में मदद करता है जिनेक बलिदान ने हमारे लिए स्वतंत्रता को वास्तविक बना दिया है और 15 अगस्त, 1947 की ऐतिहासिक यात्रा में मील के पत्थर हैं। यह स्वतंत्रता आंदोलनों का भी पुर्नअवलोकन करता है।

विचार @75 :- भारत को आकार देने वाले विचारों और आदर्शों का जश्न मनाना।

यह स्तंभ उन विचारों और आदर्शों से प्रेरित कार्यक्रमों और आयोजनों पर केंद्रित है जिन्होनें हमें आकार दिया है और अमृत काल (भारत/75 और भारत/100 के बीच 25 वर्ष) की इस अवधि के दौरान संचालन करते समय हमारा मार्गदर्शन करेंगे।

समाधान @75 :- विशेष उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना।

यह स्तंभ हमारी मातृभूति की नियति को आकार देने के हमारे सामूहिक संकल्प और अवधारणा पर केद्रिंत है। 2047 की यात्रा के लिए हम में से प्रत्येक को जागृत होना होगा और व्यक्तियों, समूहों, नागरिक समाज, शासन की संस्थाओं आदि के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी।

कार्य @75 :- नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालना।

यह प्रधानमंत्री जी के ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास'' आवाहन से प्रेरित है। इसमें सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्य योजनाओं के साथ–साथ व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज की प्रतिबद्धताओं को शामिल किया गया है।

उपलब्धियाँ @75 :- विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति का प्रदर्शन

यह समय बीतने और हमारे रास्ते में सभी मील के पत्थरों को चिन्हित करने में केंद्रित है। इसका उद्देश्य 5000 साल से ज्यादा के प्राचीन इतिहास की विरासत के साथ 75 साल पुराने स्वतंत्र देश के रूप में हमारी सामूहिक उपलब्धियों के सार्वजनिक हित में विकसित होना है।

क्यों :–

इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत होता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की

परम्पराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्ज्वल होता है जब सभी अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल–पल जुड़े रहतें हैं। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है।

इसलिए, आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसे अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। अमृत महोत्सव के पाँच स्तंभ जिनका उल्लेख पिछले पृष्ठ में किया गया है, आजादी की लड़ाई के साथ–साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे।

इसी तरह आजादी की लड़ाई में अलग–अलग संग्रामों अलग–अलग घटनाओं की भी अपनी प्रेरणाएँ हैं, अपने संदेश हैं जिन्हें आज का भारत आत्मसात कर आगे बढ़ सकता है।

हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन है, कितने संघर्ष हैं, जो देश के सामने जिस रूप में आने चाहिए थे वे उस रूप में नहीं आए। ये एक–एक संग्राम, संघर्ष, भारत की असत्य के खिलाफ सत्य की सशक्त घोषणाएँ, यही शाश्वत चेतना, अदभ्य शौर्य की गाथाएँ भारत के जन–जन में फैलानी हैं, अनेक आंदोलनों की एकता की आग की तपस आज की युवा पीढ़ी तक पहुँचानी है। वीर सेनानी, संत, पवित्र आत्माएँ जिनकी एक–एक गाथा अपने आप में एक स्वर्णिम अध्याय है, इन महानायकों महानायिकाओं, उनकी जीवन गाथा, उनके जीवन का संघर्ष, आंदोलनों के उतार चढ़ाव, सफलताएँ, असफलताएँ आज की पीढ़ी को जीवन का हर पाठ सिखाएगी। एकजुटता क्या होती है, लक्ष्य को पाने की जिद क्या होती है, जीवन का हर वो रंग, नौजवान बेहतर तरीके से सीखेंगे।

कैसे :–

भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर पूरी जानकारियाँ संग्रहित की हैं; जिसमें विभिन्न शीर्षक सम्मिलित लिए गए है जैसे– कार्यक्रम, बदलाव की कहानियाँ, प्रतियोगिताएँ, हिस्ट्री कॉर्नर, ब्लॉग, मीडिया कवरेज़ इत्यादि।

यह अभियान देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकट किया जा रहा है। प्रत्येक का आयोजन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके।

महोत्सव के तहत घटनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

1. **मंत्रालय और विभाग** :– भारत के केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम
2. **राज्य और केंद्र शासित प्रदेश** :– इन स्तरों के मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम
3. **देश** :– अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम
4. **प्रतिष्ठित कार्यक्रमः**– बड़े पैमाने पर महोत्सव के परिभाषित कार्यक्रम
5. **थीम–वार कार्यक्रमः**– महोत्सव के पाँच विषयों के अनुसार उपलब्ध सभी कार्यक्रम।

पाँचों वर्गीकरण में अब तक लगभग 1.22 लाख कार्यक्रम किए जा चुके हैं।

इसी प्रकार से विभिन्न स्कूलों में कार्यालयों / संस्थानों में जगह–जगह लोगों और बच्चों के लिए कविताएँ, गीत, चित्रकला, स्लोंगन, निबंध इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है– 'सम–दुख–सुखम् धीरम् सः अमृतत्वाय कल्पतें', अर्थात जो सुख–दुख आराम चुनौतियों के बीच भी धैर्य के साथ अटल अडिग और सम रहता है, वही अमृत को प्राप्त करता है। अमृत महोत्सव से भारत के उज्जवल भविष्य का अमृत प्राप्त करने के हमारें मार्ग में यही मंत्रा हमारी प्रेरणा है।

आइये, हम सब दृढ़संकल्पित होकर इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी भूमिका निभाँए।

यह हिन्द जय भारत

हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्त्रोत है

– सुमित्रानंदन पंत

कहानी

चंदू की बीवी

- *रविन्द्र कुमार*
अधिकारी (वित्त)

वो उधर को भागा था।

उसी वक्त दूसरा बोला–मैने उसे कल भी देखा था।

तीसरा बोला–वो कई दिनों से चक्कर लगा रहे होंगे। कुछ इस तरह की आवाजे मेरे कानों में पड़ रही थी कि तभी मेरी आंखें खुली तो देखा बाहर पौ फटने लगी और उजाला दिखने लगा। कुछ इसी तरह की आवाजें बाहर से आ रही थीं। मैं हड़बड़ाकर उठा और बड़ी बेसब्री से बाहर की ओर गया।

दरवाजा खोलते ही, मैने देखा कि घर से कुछ ही दूरी पर काफी लोग खड़े थे और बड़े हैरान परेशान हो कर बातें कर रहे थे। मेरे रूके हुए कदम आगे की ओर बढ़े और लाखों सवाल एक साथ मेरे दिमाग में घूम गए।

तभी उन सभी लोगों में से मैने कटारिया जी से पूछा–क्या हुआ? ये भीड़ कैसे लगी है? उन्होंने कहा –क्या बताएं कि क्या जमाना आ गया है?

मैंने गंभीर होकर कहा क्यूँ ! क्या हो गया?

तब कटारिया जी बोले, यह रोज कि बात हो गई है। आज सुबह–सुबह फिर कोई चंदू की बीबी रश्मि.....

उन्होंने इतना ही बोला था कि मैंने तपाक से कहा क्यों! क्या हुआ रश्मि को?

तब वो बोले–कुछ लड़के आज सुबह उसकी चैन तोड़ कर ले भागे।

चैन की बात सुनते ही मुझे वो समय याद आ गया जब चंदू की बीबी रश्मि ने उससे चैन बनाने के लिए जिद्द की थी और पूरा घर सर पर उठा रखा था। चंदू ने न जाने कितने वादे किए पर रश्मि नहीं मानी और उसने चैन बनवाके ही दम लिया।

तभी मोहन जी बोले– अरे! यह तो अब रोज की बात हो गई है। कल ही की बात है कोई मेरी मोटरसाईकिल से पेट्रोल निकालकर ले गया। तभी गुप्ता जी ने मोहन की बात, बीच में काटी और बोले मेरी घड़ी तो कोई हमारी खिड़की से ही उड़ा ले गया।

तभी शर्मा जी भी अपने घर से बाहर निकले और भीड़ की तरफ बढ़े। शर्मा जी भी मोहल्ले की जानी मानी हस्तियों में शुमार थे। शर्मा जी की निगाहें आस– पड़ोस में रहने वाली सभी महिलायों को उनके घर तक छोड़ कर आती है वो तो उनका बस ही नहीं चलता, नही तो ड्राईंग रूम में सोफे पर बिठा कर ही दम लेते। शायद उन्हें वहाँ घटी घटना के बारे में पता चल चुका था।

वहीं दूर से शर्मा जी बोले –अरे पुलिस कंप्लेंट की किसी ने?

गुप्ता जी तपाक से बोले– हाँ–हाँ सब हो गया है। पुलिस, बस किसी भी वक्त आती होगी। तभी मोहन जी बोलें–लो आ गई पुलिस। सभी खड़े हुए लोगों ने बड़े ही चैन की साँस ली मानो सारी समस्याओं का समाधान अभी का अभी हो जाएगा। ऐसा लगा कि जैसे कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि कोई सुपरमैन आया हो।

S.I. घनश्याम ने अपनी मोटरसाईकिल को कुछ सलमान खान वाले अंदाज में खड़ा किया और बोला – फोन किसने किया था?

गुप्ताजी तुरन्त लपककर बोले – सर, मैने किया था। सर, बहुत ही बुरा हाल कर दिया है गुंडो ने। बहु – बेटियों का तो घर से निकना भी मुश्किल हो गया है।

S.I. घनश्याम बोले चलो चलकर उनकी स्टेटमेंट ले लेते हैं।

सभी एक साथ चंदू के घर कि ओर चल दिए। चंदू के घर पहुँचते ही सभी विद्वानों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। रश्मि ने घनश्याम को बताया कि जब वह सुबह घूमने के लिए घर से निकली ही थी कि तभी पीछे से एक लड़का आया और उसके गले से सोने की चैन तोड़ कर भाग गया, जब तक कि मैं कुछ समझ पाती तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। मैं उसके पीछे बहुत दूर तक भागी लेकिन कुछ कर न सकी।

घनश्याम तपाक से बोले–अरे मैडम, वो एक नहीं दो हैं और मैं कई महीनों से उनके पीछे लगा हूँ और छोडूंगा नहीं उनको। जमीन से खोद कर निकाल लाऊंगा, आप चिंता मत करो। अब ये केस मेरे पास आ गया है और अब मैं नहीं या वो नही (उसने अपनी छाती को चौड़ा किया) और घनश्याम ने लोगों में पूरा विश्वास जगाया और चुस्की के साथ चाय को खत्म किया मानों केस खत्म हो गया हो।

बस, फिर क्या था? चंदू के घर लोगों का आना–जाना शुरू हो गया। हर रोज एक ही बात को रश्मि बार–बार सबको बताती और लोग उस किस्से को चाय की चुसकी के साथ बड़े चाव से सुनते।

आज इस किस्से को पूरा एक महीना हो गया है, न चोर मिला न चैन। पुलिस वाला भी नियमित रूप से आता है और चाय समोसा खा कर निकल जाता है। बेचारी रश्मि रसोई में खड़ी–खड़ी चाय के प्याले धो रही थी और उस दिन को कोस रही थी जब उसने चैन लेने के लिए चंदू से लड़ाई की थी। काश ! मैं चैन के लिए ना लड़ती तो आज ये प्याले ना माज रही होती। चैन तो मिली नहीं केवल प्याले धोने में ही जिंदगी निकलने लगी।

कविताएं

गुम है मेरे ख्यालों में वो बचपन की गली

जब बादल की ओट में चाँद करे था कौतकी
जब तारों की जोड़ी आपस करती बतियाँ मिट्ठी।
जब दादी सुनती थी रात से लम्बी कहानी
जब झुकके सुननी पडती थी माँ को बातें मेरी।।
गुम है मेरे ख्यालों में वो बचपन की गली ....

जब भाभी देवर के लिए रिश्ते खोजती
जब खुद बुनती थी बहन राखी भाई की।
अच्छा लगता है दिल को देखना पीछे मुड़के
जैसे अच्छा लगता है याद करना बाते बीती।।
गुम है मेरे ख्यालों में वो बचपन की गली ....

जब आती थी दो टॉफ़ी दस पैसे की
और क्रिकेट की गेंद रूपए डेढ की।
वो मोहल्ले के तंदूर पकी रोटियां और मिट्टी
के बर्तन में दाल उरद की तंदूर पर बनी।।
गुम है मेरे ख्यालों में वो बचपन की गली ....

जब आँखों से सबके दया थी छलकती
जब दिलपे छापी थी प्रेम पंछी की आकृति।
जब खेल–कूद में हर शाम थी गुजरती
रात को स्कूल के काम की चिंता सताती।।
गुम है मेरे ख्यालों में वो बचपन की गली ....

अभी तो वो मेरे पास ही थी
अब वो मरे पास नहीं।
ये क्या छल है ये क्या तिलस्मी
नजर मेरी है हैरत से भरी।।
गुम है मेरे ख्यालों में वो बचपन की गली ....

*- **संजीव शर्मा***
प्रबंधक (सी.एस.आर.)

सेवा निवृति दिवस

हम सबके जीवन में वो एक दिन आएगा,
जो हम सबका सेवा निवृत्ति दिवस कहलाएगा।

सब एकत्रित होंगे उस दिन
सम्मान सहित करने को विदा,
पर अन्दर से दिल चाहेगा,
सबको कभी न कहना अलविदा।

दिवस के कुछ समय पूर्व ही
सताने लगेगी उदासी व शून्यता,
भविष्य के गर्भ में न जाने आगे क्या छुपा है क्या पता।

एक खूबसूरत परिवार से सहसा ही विछोह हो जाएगा,
और हर एक साथी सफर का,
उसकी किसी न किसी विशेषता पर याद आएगा।

वो पल, वो लम्हे याद आएँगे,
जब मिलकर काम किया करते थे।
किसी से कहा सुनी हुई तो
एक–दो दिनों में ही मुस्करा दिया करते थे।।

घर से ज्यादा वक्त दफ्तर के आँचल में गुजारा,
जो खट्टी–मीठी चुटकियां,
खुशियाँ और गम बाँटने का बना सहारा।

रह जाएँगी बस यादें और यादें,
जिसके झरोखों से देखा करेंगे वो बीता नजारा।।

खत्म हो जाएगी सुबह–सवेरे की
भाग–दौड़ और आफिस की पंचुअलटी
न नाश्ते की फिक्र और न
लंच तैयार करने की जल्दबाजी।

जिंदगी की दौड़ दौड़ते–2 एक ठहराव आएगा,
दफ्तर की फाइल पढ़ने पर तब विराम लग जाएगा।

दफ्तर की बायोमैट्रिक मशीन,
तब छोड़ देगी इंतजार करना।
बॉस की कुछ दिन की कमी अखरेगी,
फिर उसे भी किसी और से काम होगा करवाना।

ये तो समय की धारा है जो कहलाती जीवन यात्रा,
बचपन गया जवानी गई, शुरू होगी बुढ़ापे की यात्रा।

पुनः होगी एक पड़ाव के बाद नए सफर की तैयारी,
चलो दोस्तों वादा कर लो,
मुस्कुरा कर स्वागत करेंगे जब नई पारी होगी जारी।

*- **नीलम मुदगल***
प्रबंधक (वित्त)

देश प्रेम के लिए आवश्यक–कर्तव्यों का निर्वहन

- *साजिद अख्तर*
अधिकारी एवं सी.पी.आई.ओ.

देश द्वारा प्रत्येक नागरिक को कुछ न कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं और प्रत्येक नागरिक को इन कर्तव्यों का वहन निष्ठा व ईमानदारी के साथ करना होता है। अब देश का संपूर्ण विकास इसी बात पर निर्भर करेगा कि कितने नागरिक दिए गए कर्तव्यों का निर्वाहन निष्ठा व ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। विश्व में जो हम विकसित देश देख रहे हैं वह इसलिए विकसित नहीं हुए कि उनके पास अपार प्राकृतिक संसाधन थे या वहां के नागरिक शिक्षित थे या फिर उनके मस्तिष्क सामान्य से अलग थे। और, ऐसा भी नहीं है कि इन विकसित देशों की सरकारों को ही इन देशों के विकसित होने का श्रेय जाता है। इन देशों के विकसित होने का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि इनके नागिरक देश के प्रति संवेदनशील थे, देश के लिए देश के विकास के लिए इन्होंने दिए गए कर्तव्यों का निर्वाहन संपूर्ण निष्ठा तथा ईमानदारी के साथ किया। तदोपरांत इनके देश विकासशील से विकसित होते चले गए।

हमें यह जानना अति आवश्यक है कि देश के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं। हम सभी अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत होते हैं जैस कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी या फिर एक राजनेता। सभी इन क्षेत्रों में आते समय शपथ लेते हैं कि वो दिए गए कार्यों का निर्वाहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करेंगे और एक अच्छे शक्तिशाली समाज और फिर देश का निर्माण तभी हो सकता है जब ये ली गई शपथ को अच्छे से निभाएं।

देश–प्रेम भी इसी से परिभाषित होगा कि हम किस ईमानदारी से दिए गए कर्तव्यों का निर्वाहन करते हैं। केवल कह भर देने से देश–प्रेम की परिभाषा को सफल नहीं बनाया जा सकता। मेरा देशप्रेम तभी प्रेम कहलाएगा जब देश द्वारा दिए गए कर्तव्यों का निर्वाहन ठीक वैसे ही करेंगे जैसे मुझसे अपेक्षा की गई है।

मेरा देश प्रेम प्रत्येक प्रारंभ होने वाली प्रातः से शुरू हो जाता है – जब घर से तैयार होकर कार्यालय अथवा कारोबार आदि पर जाते समय सड़क पर आने वाली लालबत्ती तथा अन्य ट्रैफिक नियमो का पालन करता हूँ, कार्य करने के स्थान पर पहुंचकर अपने कर्तव्य का निर्वाहन निष्ठा व ईमानदारी के साथ करता हूँ, समाज में रहने वाले लोगों के बीच सद्भाव व प्रेम से रहता हूँ, किसी पर अत्याचार या भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ, न ही होते हुए देख सकता हूँ आदि ।

क्योंकि, देश का निर्धारण एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र, इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण प्राकृति, जीव–जंतु, मनुष्य आदि सभी से मिलकर बनता है तो देश प्रेम यह भी परिभाषित करता है कि हम इसके अंतर्गत आने वाले जीव जंतुओं से प्रेम करें, इसकी प्राकति से प्रेम करें, इसकी नदी–नालों–झरनों से प्रेम, इसके पेड़–पौधों से प्रेम, पशु–पक्षियों से प्रेम करें। और, इन सब से प्रेम करेंगे तो इनके लिए सम्मान की भावना आना भी स्वभाविक हो जाएगा। हमें इसके साथ–साथ देश के संविधान तथा अन्य निर्धारित नियमों/कानूनों का अनुपालन भी करना होगा तथा इन नियमो/कानूनों के निर्माताओं/संचालकों का भी सम्मान करना होगा। तभी जाकर हमारी देश प्रेम की कथनी–करनी में परिवर्तित हो पाएगी। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण, देश का निर्माण देश के नागरिकों से भी होता है जो मिलकर एक समाज बनाते हैं। देश के नागरिक देश द्वारा दिए गए कर्तव्यों का अनुपालन जितनी निष्ठा व ईमानदारी से करेंगे उतना की समाज का सामाजिक ताना–बाना शक्तिशाली होगा, ताना–बाना शक्तिशाली होगा तो देश स्वयं ही शक्तिशाली और विकसित होगा।

जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता

– डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद

कविताएं

हिन्दी का सम्मान

मैं हिन्द देश का निवासी हूँ, हिन्दी मेरी भाषा है,
जग में सबसे न्यारी हिन्दी, हमको है बहुत प्यारी हिन्दी
देश को आगे बढ़ाना है, हिन्दी को ही अपनाना है।
जन–जन तक पहुँचे हिन्दी, इसका परचम फहराना है
हमकों अच्छी लगती हिन्दी, हिन्दी हमारा खजाना है।।

यदि हिन्दी का गुणगान करोगे, देश का सम्मान करोगे,
सब भाषाओं में न्यारी हिन्दी, हमको है बहुत प्यारी हिन्दी।
हमें सबको जगाना है, हिन्दी को आगे लेके जाना है
हिन्दी में हर काम करो, हिन्दी का सम्मान करो।।

हिन्दी सबसे सुन्दर भाषा, हिन्दी भविष्य की आशा है,
हिन्दी हर दिल की धड़कन, इसे अपनाकर सम्माने करें।
हम देशभक्त कहलायेगें, जब हम हिन्दी को आगे ले जायेंगे
हिन्दी हमारा स्वाभिमान है, इसको अपनाकर इसका नाम करें।।

यदि सभी ने अपनाली हिन्दी,
हिन्दी दिवस की जरूरत ना पड़े।
कर्तव्य पथ पर हमें हिन्दी को ले जाना है,
हमें हिन्दी को ही अपनाना है।।
मैं हिन्द देश का निवासी हूँ, हिन्दी मेरी भाषा है।
जग में सबसे न्यारी हिन्दी, हमको है बहुत प्यारी हिन्दी।।

- राजेन्द्र कुमार
कार्यकारी

मेरी उलझनें

मै चला हूँ अंधेरे को मिटाने
परन्तु मै इसको मिटा ना सका है।
जिसको मैने अपने दिल में संजोकर रखा था
उसी ने मेरा अस्तित्व को मिटाया है।
जैसे मोमबत्ती ने धागे को दिल में जगह दी है
उसी ने उसको जला दिया है
जिनको आपने अपना समझा
जीवन भर वो कभी अपने ना हुए।
जिनको हमने पराया समझा
वो ही मेरे काम आये
मै उनको अपना समझता रहा
पर वो मेरे ना हुए मै धोखे मे जीता रहा।
जीवन के अस्तित्व को समझना
मुशकिल ही नही हे नामुमकिन है
मै इसको समझ नही सका
यह बडी उलझनो से भरी है
पकड कर तेरे हाथ पूलूंगा कि
तुमने अपना हक मुझ पर जताया क्यों नहीं था
इस धागे का एक सिरा तुम्हारे पास भी तो था
उलझा था अगर मुझसे तुमने सुलझाया क्यों नहीं था
मै तो अपने मन को समझा लुंगा कि
मैने तो पूजा था पत्थर को
यदि चॉद ना होता तो तारे नही होते और
चाँद को पाने की अभिलाषा तारो में नही होती
मैने कविता बहुत पढी है परन्तु मै कवि ना बन सका

- हरवीर सिंह
कार्यकारी

बैडमिंटन का शौक – मेरी दिव्यांगता, संघर्ष और उपलब्धियां

- मुन्ना खालिद
कनि. कार्यकारी (परि.)

मेरे पिताजी एक ट्रक चालक हैं और माता गृहणी हैं। मैं अपने परिवार में इकलौता पढ़ा–लिखा हूँ। मैं बचपन से ही उलटे पैर से दिव्यांग हूँ। हम सात भाई–बहन हैं। पिताजी की तनख्वाह से घर का खर्च और हम सबकी पढ़ाई की पूर्ती नहीं हो पाती थी। बचपन से ही मेरी पढ़ाई में रुचि थी। परन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने कारण मैं स्कूल से आने के बाद एक STD बूथ पर काम करता था जिसके लिए रू. 250/– प्रति माह मिलता था। जब मैं कक्षा छः में था तो स्कूल से आने के बाद फल–सब्जी बेचा करता था। गर्मियों की छुट्टियों में आम की पेटियां बनाया करता था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और डॉक्टर बनना चाहता था परन्तु दसवीं कक्षा की बोर्ड में कॉपी खो जाने की वजह से रिजल्ट देरी से आया और मैं जीव विज्ञान स्ट्रीम में प्रवेश नहीं ले सका। मुझे अपने ही स्कूल में प्रवेश लेना पड़ा लेकिन उस स्कूल में सिर्फ आर्ट स्ट्रीम ही थी। जैसे–तैसे मैनें बारहवीं पास कर ली। बारहवीं के बाद मैनें जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा पास की और बी.ए (ऑनर्स) हिंदी में प्रवेश पा लिया। दिल्ली आने के बाद मुश्किलें और बढ़ गयी। शारीरिक अक्षमता और तंगी से मैं परेशान हो गया था, मेरे पास यहाँ रहने तक के पैसे नहीं थे। कई बार हालात बहुत खराब हो जाते है। मैनें यहाँ हॉस्टल में रहते हुए घर–घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। जिससे मेरा पॉकेट खर्च निकलता था।

हॉस्टल में रहते हुए मेरी खेल में रुचि बढ़ी। मैनें बहुत से खेल खेले परन्तु किसी में अधिक रुचि नहीं बनी। एक बार की बात है कुछ विद्यार्थी हॉस्टल में बैडमिंटन खेल रहे थे जिनके पास जाकर मैनें भी खेलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने मुझे इंतज़ार करने को कहा और कुछ देर बाद मेरे साथ खेले बिना ही जाने लगे जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन मैनें प्रण लिया कि अब मुझे बैडमिंटन खेलना है और ऐसे खेलना है कि यही लोग मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुलाएँगे। फिर मैनें धीरे–धीरे प्रतिदिन अपनी कक्षाओं के बाद बैडमिंटन का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। और मैं कुछ हद तक ठीक खेलने लगा था। तब मुझे पैरा गेम्स के बारे में एक बैडमिंटन खिलाड़ी से पता चला। मैनें अपनी राष्ट्रीय स्तर की पहली प्रतियोगिता पर 2015 में खेली जो चेन्नई में हुई थी। उसके बाद फरवरी 2016 में खेला जहाँ मुझे कांस्य पदक मिला।

2015 में मैनें जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में MSW की प्रवेश परीक्षा पास कर प्रवेश पा लिया। परन्तु हॉस्टल और कोर्स फीस तक भरने को मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ कर अपने गाँव चला गया। वहां मैनें एक स्कूल में अध्यापन का काम किया जिसमें दो महीने के भीतर मेरे पास हॉस्टल और कोर्स फीस भरने के लायक पैसे हो गये थे। मैं स्कूल में त्यागपत्र देकर फिर से अपना कोर्स पूरा करने दिल्ली आ गया। आने के बाद मैंने फिर से टूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी बैडमिंटन का अभ्यास भी नियमित रूप से शुरू कर दिया। 2017 में मेरा MSW पूरा हुआ और एक विज्ञापन के माध्यम से मैनें सितम्बर 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में नौकरी का आवेदन किया। जिसके तहत मैनें नौकरी की परीक्षा पास की और जून 2018 को मैनें कार्यालय ज्वाइन किया। मैं अपने परिवार की आर्थिक मदद करने लगा। मैनें 2019 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया जिसमें मेरी केटेगरी व्हीलचेयर पर आई। मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी जिसके लिए मैनें वहां एक दूसरे खिलाड़ी से व्हीलचेयर लेकर खेला। उससे पहले मैनें कभी व्हीलचेयर पर बैठकर भी नहीं देखा था। उस प्रतियोगिता में मुझे क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। जब मैं इस प्रतियोगिता से वापस लौटा तो NBCFDC के प्रबंध निदेशक से इस बारे में बात हुई और उन्होंने प्रशासन विभाग को निर्देश दिए कि मुझे व्हीलचेयर उपलब्ध कराएँ। मुझे NBCFDC द्वारा व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गयी। मैनें उस कम फीचर वाली व्हीलचेयर पर अभ्यास किया और 2021 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो कांस्य पदक हासिल किये। मेरे कार्यालय NBCFDC द्वारा मेरा जोरदार स्वागत किया गया तथा रू. 11,000/– नकद पुरुस्कार दिया गया।

मई, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए मैनें अपनी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक के आधार पर आवेदन किया और मुझे बहरीन एवं दुबई जाने के लिए चयनित कर लिया गया परन्तु समस्या यह थी कि उसके लिए मेरे पास कोई स्पोंसर नहीं था जो कि मेरा खर्च वहन कर सके। फिर मैनें बैंक से ऋण लिया और खेलने गया। बहरीन और दुबई में मेरा परफॉरमेंस बहुत अच्छा रहा परन्तु प्रोफेशनल

व्हीलचेयर न होने कारण मैं प्री–क्वार्टर फाइनल तक पहुँच पाया। वहां से निराश होकर मैं भारत वापस लौटा। उसके बाद मैं सितम्बर 2022 में यूगांडा में आयोजित प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ। परन्तु समस्या वही थी मेरे पास कोई स्पोंसर नहीं था और प्रोफेशनल व्हीलचेयर भी नहीं थी। मैनें फिर बैंक से ऋण लिया और भारत का प्रतिनिधित्व करने यूगांडा गया। वहां मेरा परफॉरमेंस बहुत अच्छा रहा। यूगांडा के फाइनल में मैनें युगल में जापानी जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया तथा एकल में रजत पदक अपने नाम किया। यूगांडा में भारतीय उच्चायुक्त श्री ए. अजय कुमार ने मुझे और भारतीय टीम को भारतीय उच्चायोग, कम्पाला, यूगांडा में चाय पर आमंत्रित कर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। भारत वापस आने के बाद मेरे कार्यालय NBCFDC द्वारा मुझे रू. 11,000/– नकद पुरुस्कार दिया गया।

वर्तमान में, मेरी **विश्व रैंक – 25, एशिन रैंक – 14** और **भारत में रैंक – 03** है। मेरा सपना है कि मैं पैरालिम्पिक में भारत के लिए पदक ला सकूं और अपने कार्यालय व भारत का नाम रोशन कर सकूं।

रिश्ते

रिश्तों की भीड़ में
क्यों हो गए हम अकेले
छोटे–बड़े रिश्तों में उलझ कर
हम रह गए अधूरे
कुछ रिश्तों की दुहाई देकर
कुछ कुर्बानी दे कर
मौन होकर रह गए
हम अधूरे
चाह कर भी कह न सका
मूक मन हमारा
फिर क्या होना था
जो अपना था वो
हो गया पराया
रिश्तों की भीड़ में क्यों
हो गए हम अकेले।।

*- **हरीश सती***
अधिकारी

पर्यावरण

जब बात पर्यावरण की आई
मैंने अपने मित्र को बतलाई
वो बोला रहने दे भाई रहने दे भाई
किन्तु मैंने ली अगड़ाई और
कहा अब पर्यावरण बचाने की
लड़नी होगी लड़ाई।

पेड़ उगाएं जंगल बचाएं
जानवर जन को भी हमें बचाना है।
आने वाली पीढ़ी को
हमें जागरूक बनाना है।

हो यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी
बनें हम पर्यावरण पुजारी
कोविड ने हमको जताया है।
वगल्रमद का महत्व बताया है।

अब बातों का दौर गया
कुछ कर के दिखलाना होगा
पर्यावरण बचाना होगा
पर्यावरण बचाना होगा।

*- **सुखदेव सिंह गुलैया***
स. प्रबंधक (वित्त)

शीर्षक : बेटे चार और हिस्सा तीन

प्रसंग : प्रस्तुत शीर्षक में एक किसान और उनके चार बच्चों को वृत्तान्त है

- अशोक कुमार नागर
सहायक प्रबंधक (योजना)

कथानक :

बहुत ही पुरानी बात है एक गाँव में एक किसान रहता था। उनके चार बेटे थे एक बेटा बहुत ही निकम्मा था किसान बहुत बूढा हो चुका था। वे खेत में काम नहीं कर पा रहे थे। एक दिन किसान को आभास होने लगा कि अब उनका अंतिम समय चल रहा है। उन्होंने बच्चों से बुलाकर कहा कि अब हमारा अंतिम समय चल रहा है। तुम चारो ठीक से काम–काज करो एक दिन ऐसा आया कि किसान इस दुनिया से चल बसा। चारो बेटे ने बहुत आलाप–विलाप किया। गाँव के सभी लोगों ने मिल कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार और अन्य क्रिया–कर्म विधि–विधान से किया गया। क्रिया–कर्म के बाद चारों भाई जायदाद में हिस्सा करने की सोची हिस्सेदारी से पहले किसान का विस्तर कपड़ा सब चेक किया गया। किसान के तकिये के नीचे से तीन पोटलियाँ मिली, पोटलियों के पास एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था कि मेरे मरने के बाद तीन बेटे अपना–अपना हिस्सा ले लेंगे एक का हिस्सा नहीं है। तीनों पोटलियों में क्या है, किसी को मालूम न था और किसका हिस्सा नहीं है, वह भी मालूम नहीं था। इसलिए बटवारे में समस्या आ खड़ी हुई।

गाँव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर एक गाँव है। उस गाँव में एक चौधरी जी रहते हैं। वही तुम लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। चारों भाई तीनों पोटलियों के साथ चौधरी जी से मिलने के लिए चल दिए, रास्ता मालूम न था। पूंछते–पूंछते गाँव के पास औरत ने बताया कि उनको तो मरे चार साल हो गए। चारों भाई सोचे चलो इसी बहाने उनका द्वार भी देख लेते हैं और उनके परिवारजनों को सांत्वना भी दे देते हैं। चौधरी जी के घर के बाहर एक लड़की कुएं से पानी निकाल रही थी। चारों भाइयों ने पूंछा कि चौधरी जी का यही घर है लड़की ने बताया हाँ, लेकिन वे तो चार साल से अँधे हो गए हैं । चारो भाई चकित रह गए कि माजरा क्या है, एक औरत ने बताया कि वे चार साल पहले मर चुके हैं और यह लड़की बता रही है कि वे तो चार साल पहले अँधे हो चुके हैं। लड़की से बात हो रही थी कि तब तक चौधरी जी खाना खा कर घर के बाहर आ गए उन्होंने पूछा क्या बात है, चारो भाइयों ने सारी कहानी बता डाली चौधरी जी ने कहा इनका कोई दोष नहीं है। जो औरत थी वह हमारी पत्नी है मुझे उससे बातचीत किये चार साल हो गए इसलिए उसने मुझे मरे हुए चार साल हो गया कहा और जो लड़की है वह मेरी बेटी है उसके साथ की लड़कियों की शादी हो गयी है और वे बाल बच्चेदार हैं। मैं अभी तक इसकी शादी नहीं कर पाया हूँ इसलिए उसने मुझे अँधा हुए चार साल हो गए अब चौधरी जी ने पूछा कि कैसे आना हुआ, चारो भाइयों ने अपनी समस्या बताई। चोधरी जी ने कहा ठीक है, फैसला हो जायेगा। उन्होने चारों भाइयों को रात का खाना खिलाकर अलग–अलग कमरे में सुला दिया और कहा कि फैसला सुबह करेंगे। रात बारह बजे बड़े बेटे के पास जाकर बोले कि ये तलवार लो अपने तीनों भाइयों को मार डालो सारा धन–दौलत तुम्हारा हो जायेगा। पूरी जिन्दगी ऐश से कटेगी बंटवारे का झंझट ही खत्म हो जायेगा किन्तु बड़े बेटे ने कहा कि मुझे हिस्सा मिले या न मिले किन्तु मैं अपने भाइयों की हत्या नही करूंगा। इसी तरह बारी–बारी से अन्य तीनों के पास गये, तीसरे और चौथे ने भी बड़े भाई जैसा ही उत्तर दिया लेकिन दूसरे नंबर का भाई अपने तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया। चौधरी जी ने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको तलवार दूंगा और उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और अन्य तीनों को सुबह मिलने की बात कह कर चले गए।

सबेरा हुआ, भरी पंचायत में चौधरी जी ने बताया कि दूसरे नम्बर के लड़के का हिस्सा नहीं है और हिस्सा न होने का कारण भी रात वाली बात के आधार पर बताया। तब तीनों पोटलियाँ खोली गई। एक में माटी, दूसरे में लकड़ी और तीसरे मैं पैसा था चौधरी जी ने फैसला सुनाते हुए बताया, कि माटी जो है, वह खेत की है, इसलिए जो खेत है, वह बड़े लड़के का हिस्सा है। लकड़ी पेड़/जंगल से होती है, इसलिए जंगल तीसरे नंबर के बेटे का हिस्सा है और पैसों की सबसे अधिक जरूरत छोटे बेटे को होती है, इसलिए जो रूपया–पैसा है, वह छोटे बेटे का हिस्सा है। सभी लोगों ने चौधरी जी के फैसले का स्वागत किया। तीनों भाई सबको नमन करते हुए अपने घर को प्रस्थान किया और तीनों भाइयों की हत्या कर पूरा हिस्सा हथियाने की बात करने वाला भाई, बिना हिस्सा के अपना सा मुह लेकर गाँव छोड़कर अन्यत्र चला गया।

शिक्षा : ''जैसी करनी वैसी भरनी''

कविताएं

जन्मदिन की शुभकामनाएं

मीनाक्षी का जन्मदिन आया है देखो कैसे सब रहे है झूम
ढोकले और समोसे ने मचाई अलग ही धूम।

छुटकन, इंदु, सती, सीमा भी ये जान लें,
ब्रह्माण्ड के अन्य प्राणी भी ये मान लें।
मेरी कतिवाओं में केवल आप ही नहीं हो मात्र।
इस बार बंटी, सुमन, गीता और मीनाक्षी होगे विशेष पात्र।

फिर क्या था लोगों का धीरे धीरे लगने लगा ताता
हर कोई आता और जन्मदिन की बधाई दे जाता।
सब ने अपने अन्दर एक उम्मीद जगाई
मीनाक्षी से पार्टी लेने कि इच्छा जताई।

सब के मन की जान कर, बंटी भी धीरे से पास आता और
उसके कान में धीरे से नमस्ते कर जाता।
यारो, नमस्ते तो था एक बहाना
असली मकसद था पैसे निकलवाना।

मीनाक्षी ने अपनी नज़र गीता की तरफ घुमाई
गीता ने अपनी गर्दन हाँ में ही हिला कर सहमति जताई।
तब उसके दिमाग में बात आई
धीरे से बोली अब तो मँगा ले मिठाई।

इधर मीनाक्षी भी पेरोल और
फाइनेंस के उलझन से निकल गई
हमारी पार्टी की गुत्थी भी सुलझ गई।

मेरे यारो, मेरे प्यारों, मेरी परेशानी तब और बढ़ गई
जब वो ढोकला और समोसा लंच में सर्व कर गई।

एक तरफ सुमन तो दूसरी तरफ थी मीनाक्षी
एक थी लंच की तो दूसरी थी ढोकले समोसे की साक्षी।

एक ने खाना तो दूसरी ने खजाना दिखाया
अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का दर्शन एक साथ कराया।

मेरे चेहरे पर मुस्कान तो तब आई
जब मैंने लंच में तीन कि जगह दो रोटी ही पाई।

मन ही मन मैंने दोनों का किया धन्यवाद
लंच के साथ समोसे ने बढ़ाया मेरा और स्वाद।

फिर क्या था समोसे को मैंने दही में डुबाया
सुकून के साथ धीरे धीरे बड़े चाव से खाया।

- रविन्द्र कुमार
अधिकारी (वित्त)

वो गांव मेरा

बहुत याद आता है वो गांव मेरा,
बहुत याद आता है वो गांव मेरा।
अकेले में आ कर मुझे
बहुत रुलाता है गाँव मेरा,
बहुत याद आता है वो गांव मेरा।।

वो अपनापन याद
दिलाता है वो गांव मेरा,
वो अपनों को साथ लेकर
पास आता है वो गांव मेरा।
इस पराये देश में मुझे
अपना बनाता वो गांव मेरा,
बहुत याद आता है वो गांव मेरा।।

वो एक–एक कोना वो बिस्तर
वो मेरा बिछौना वो गांव मेरा।
वो एक साथ हम सबका
मिलकर सोना वो गांव मेरा,
कहाँ खो गया वो मेरा
अंधियारी रातों का गहना वो गांव मेरा।।

बहुत याद आता है वो गांव मेरा,
बहुत याद आता है वो गांव मेरा,
अकेले में आ कर मुझे
बहुत रुलाता है गाँव मेरा,
बहुत याद आता है वो गांव मेरा।।

- दीपक वर्मा
सहायक प्रबंधक,
परियोजना विभाग

उलझन की कविता

हिंदी पखवाड़ा के शुभ अवसर पर
राजभाषा विभाग की सूचना आई।
हिंदी कविता लिखने बैठे
शांति से सीट पर पीठ लगाई।

फाइलों के पहाड़ को देखकर
खो बैठे हम लिखने की क्षमता।
मैं बेचारा मायूश हो कर
कामों के बोझ तले ढूँढ़े कविता।।

खिड़की से बाहर झाँका
देखा बारिश की थी बौछार।
इतना सुँदर मौसम था
फिर भी शब्दों की न बह सकी बयार।।

उलझन में था कि लिखूँ किस पर
दर्द बयाँ करूँ या लिखूँ प्रेम पर
और.....
इसी बीच चाय की खुशबू आई
कविता लिखना फिर रास न आई
उलझन में हूँ दोस्त
अब बता मैं क्या करूँ ?
ऑफिस, बारिस या चाय
तुम्ही बताओं किसे चुनूँ ?

- दिलीप सामाद
स. का. (परि.)

माँ की कामना

एक दिन माँ ने अपने नन्हे बेटे से पूछा
बेटा बड़े होकर आप मेरे लिए क्या करोगे,

बेटा बोला बड़ा होकर मै खूब पढूँगा लिखूँगा
माँ बोली वो तो तुम अपने लिए करोगे

बेटा बोला मैं उच्च ओहदा लेकर नाम कमाऊंगा
माँ बोली वो तो तुम सब के लिए करोगे

बेटा बोला मैं आपके लिए खूब पैसा कमाऊंगा
माँ बोली वो तो तुम्हारे पिता जी भी कमाते है

बेटा बोला मैं आपके लिए आज्ञाकारी बहू लेकर आऊंगा
माँ बोली वो तो तुम्हारी जीवन संगिनी होगी

बेटा बोला तो आप बताओ
मैं आपके लिए बड़ा होकर क्या करूं
माँ बोली बेटा जब मैं वृद्ध हो जाऊँ
तो मेरा ख्याल रखना।।

जब मै इस संसार को छोड़ कर चली जाऊँ तो
अपनी प्रार्थनाओ में मेरी आत्मा की
सद्गति की दुआ करना।।

उस समय नन्हे बेटे की आँखे नम थी
और आज भी बेटे की प्रार्थनाओं में
माँ आत्मा की सद्गति की दुआए हैं।

- संजीव शर्मा
प्रबंधक (योजना)

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा, वित्तीय प्रणाली तथा ब्याज दर

(i)	सावधि ऋण योजना	i) सामान्य ऋण योजना ii) नई स्वर्णिम योजना – महिलाओं के लिए iii) शैक्षिक ऋण योजना
(ii)	सूक्ष्म वित्त योजना	iv) सूक्ष्म वित्त योजना (मिश्रित स्व–सहायता समूहों के लिए) v) महिला समृद्धि योजना (खासकर महिला स्व–सहायता समूहों के लिए) vi) लघु ऋण योजना (एकल व्यक्तियों के लिए)

क्र. स.	योजना का नाम	प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा	वित्तीय पद्धति #		ब्याज की दर प्रति वर्ष ##		पुनर्भुगतान अवधि (छः महीने की अधिस्थगन अवधि सहित)
			एन.बी.सी. एफ.डी.सी.	चैनल सहभागी / लाभार्थी	चैनल सहभागी	लाभार्थी	
1.	**सावधि ऋण**						
(क)	**सामान्य ऋण योजना**	रु. 15.00 लाख	85%	15%	**रु. 5.00 लाख तक**		8 वर्ष
					3%	6%	
					रु. 5.00 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख तक		
					4%	7%	
					रु. 10.00 लाख से अधिक रु. 15.00 लाख तक		
					5%	8%	
(ख)	**शिक्षा ऋण योजना** (क) भारत में	रु. 15.00 लाख	90%	10%	1%	4%*	अधिकतम 15 वर्ष
	(ख) विदेश में	रु. 20.00 लाख	85%	15%	1%	4%*	
(ग)	**न्यू स्वर्णिमा योजना** (महिलाओं के लिए)	रु. 2.00 लाख	95%	05%	2%	5%	8 वर्ष
2.	**सूक्ष्म वित्त**						
(क)	**सूक्ष्म वित्त योजना**	रु. 1.25 लाख प्रति व्यक्ति रु. 15.00 लाख प्रति समूह	90%	10%	2%	5%	4 वर्ष
(ख)	**महिला समृद्धि योजना** (महिलाओं के लिए)	रु. 1.25 लाख प्रति व्यक्ति रु. 15.00 लाख प्रति समूह	95%	05%	1%	4%	4 वर्ष
(ग)	**लघु ऋण योजना** (एकल व्यक्तियों के लिए)	रु. 1.25 लाख	85%	15%	3%	6%	4 वर्ष

* छात्राओं के लिए ब्याज दर 3.5% प्रति वर्ष।

\# बैंकों (पुनर्वित्त) के मामले में, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण 100% तक होगा, तथापि उनकी विशिष्ट मांग के अनुसार वितरण किया जाएगा।

\#\# लक्षित वर्ग के विकलांग व्यक्तियों (40% या अधिक) के लिए ब्याज दर पर 0.25% की विशेष रियायत प्रदान की जाती है।

बच्चों का कोना

साची मुद्गल
सुपुत्री श्रीमती नीलम मुद्गल
कक्षा–11
बाल भारती पब्लिक स्कूल
द्वारका

ऋषांक सिंह
सुपुत्र श्री रवीन्द्र कुमार
कक्षा–12
एयर फोर्स बाल भारती स्कूल
लोदी रोड

मो. शाबान सरफराज
सुपुत्र श्री मो. जावेद अ. खाँ
कक्षा–5
केंद्रीय विद्यालय
द्वारका

निगम में राजभाषा नियमों के अनुपालन हेतु विनिश्चित जांच बिन्दु एवं अपेक्षित कार्यवाही स्तर

क्र.सं.	बिन्दु	भाषा	कार्यवाही हेतु अपेक्षित स्तर
1.	केन्द्रीय डिस्पैच रजिस्टर	हिन्दी	डिस्पैच डेस्क
2.	रबर स्टैम्प	द्विभाषी	संबंधित अधिकारी
3.	**धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेज** (संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, अन्य प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, संसद के सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज–पत्र, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, सूचना, निविदा, प्रारूप)	द्विभाषी	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
4.	हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर दिया जाना तथा उसका समुचित रिकार्ड रखना	हिन्दी	संबंधित अधिकारी
5.	'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों का जवाब दिया जाना तथा समस्त डाक का समुचित रिकार्ड रखना.	हिन्दी	संबंधित अधिकारी
6.	पत्रावलियों पर नोटिंग कार्य	हिन्दी	संबंधित अधिकारी
7.	प्रारूप / फार्म / प्रोफार्मा	द्विभाषी	संबंधित अधिकारी
8.	पत्रावलियों के शीर्षक	द्विभाषी	संबंधित अधिकारी
9.	आंतरिक डाक, फाइल परिचालन एवं अन्य समस्त रजिस्टरों के शीर्षक तथा उनमें प्रविष्टियां	शीर्ष–द्विभाषी प्रविष्टियां–हिन्दी में	संबंधित अधिकारी
10.	लेटर हेड, लिफाफा, नोटिंग पैड, विजिटिंग कार्ड, वाउचर, ब्रोशर, गाइडलाइन्स, वार्षिक प्रतिवेदन, मेमोरैण्डम ऑफ आर्टिकिल एण्ड एसोशिएसन इत्यादि समस्त मुद्रण सामग्री.	द्विभाषी	संबंधित अधिकारी
11.	सेवा पुस्तिका / सेवा अभिलेख	हिन्दी	संबंधित अधिकारी
12.	नियमावली, उपनियम, कोड मैनुअल	द्विभाषी	संबंधित अधिकारी
13.	भर्ती संबंधी विज्ञापन, आवेदन, परीक्षा–पत्र आदि	द्विभाषी	संबंधित अधिकारी
14.	स्वागत पंजिका	हिन्दी	संबंधित अधिकारी
15.	नाम पट्टिकाएं	हिन्दी	संबंधित अधिकारी
16.	चेक जारी किया जाना	हिन्दी / अंग्रेजी	कैशियर / संबंधित अधिकारी
17.	लेजर पंजिका	द्विभाषी	संबंधित अधिकारी
18.	सामान्य पत्राचार	हिन्दी / द्विभाषी	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
19.	भ्रमण कार्यक्रम, भ्रमण डायरी, भ्रमण आख्या	हिन्दी	संबंधित अधिकारी / कर्मचारी
20.	कंप्यूटरों / लैपटॉप पर साफ्टवेयर	द्विभाषी	संबंधित अधिकारी / आई.टी.सेल
21.	संसद संबंधी प्रश्नों के उत्तर दिए जाने संबंधी पत्राचार	द्विभाषी	संबंधित अधिकारी
22.	बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त	हिन्दी / द्विभाषी	संबंधित अधिकारी
23.	'क' एवं 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते लिखना	हिन्दी	डिस्पैच डेस्क

'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में आने वाले राज्यों का विवरण

'क' क्षेत्र में आने वाले राज्य : बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और अंदमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र

'ख' क्षेत्र में आने वाले राज्य : गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र

'ग' क्षेत्र में आने वाले राज्य : 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. **आंध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज को–ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.**
   चोथा तल, विशाल रेजीडेंसी, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, पदमजा नगर, एन.टी. आर. रोड, टडीगड़पा, विजयवाड़ा–521134, आंध्र प्रदेश
2. **स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लि.**
   द्वितीय तल, एन. टी. आर. प्रशासनिक ब्लाक, आर. टी. सी. कॉम्प्लेक्स, विजयवाड़ा–520013, आंध्र प्रदेश

असम

3. **असम एपेक्स वीवर्स एण्ड आर्टीसंस को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.**
   प्रथम तल, आर.एच.एच.एम.सी. (आर्टडफेड रेहाबरी कॉम्प्लेक्स), ए.के. आजाद रोड, रेहाबरी गुवाहाटी, असम–781001
4. **असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर ओ.बी.सी. लि.**
   डा. बी. के. काकोटी रोड, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी, असम–781016
5. **नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस एण्ड कॉरपोरेशन लि.**
   नेडफी हाउस, जी. एस. रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम–781006

बिहार

6. **बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन**
   चौथा तल, सोन भवन, बीर चन्द पटेल मार्ग, पटना, बिहार–800001

चण्डीगढ़

7. **चण्डीगढ़ एस.सी./बी.सी. एण्ड माइनॉरटीज फाइनेंसियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन**
   एडिशनल टाउन हॉल बिल्डिंग, तीसरा तल, सैक्टर –17 सी, चण्डीगढ़–160017

छत्तीसगढ़

8. **छत्तीसगढ़ स्टेट अन्तयावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम**
   टी.आर आई भवन, दूसरा तल, नियर मुक्तांगन, सेक्टर–24, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़–492101

दिल्ली

9. **दिल्ली एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी./माइनॉरटीज एंड हैंडीकैप्ड फाइनेंसियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन**
   अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110089

गोवा

10. **गोवा स्टेट ओड्यूल्ड कास्ट एण्ड ओ.बी.सी. फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.**
    चौथा तल, पाट्टो सेन्टर, के.टी.सी. बस स्टैण्ड के पास, पणजी, गोवा–403001

गुजरात

11. **गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरशन**
    ब्लॉक नं. 11, दूसरा तल, डॉ. जीवराज मेहता भवन, सेक्टर–10, गांधी नगर, गुजरात–382010
12. **गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.**
    ब्लाक सं. 7, तीसरा तल, डॉ. जीवराज मेहता भवन, पुराना सचिवालय, सेक्टर–10, गांधी नगर, गुजरात–382010
13. **गुजरात ठाकुर एवं कोली विकास निगम**
    ब्लाक नं. 16, भूतल, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर, गुजरात–382010
14. **गुजरात नोमेडिक एंड डीनोटीफाईड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन**
    ब्लाक सं. 19/2, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर, गुजरात–382010

हरियाणा

15. **हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस कल्याण निगम**
    एस.सी.ओ. सं 813–14, सेक्टर 22–ए, चण्डीगढ़–160022

हिमाचल प्रदेश

16. **हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन**
    पुरानी एस.डी.एम बिलल्डिंग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–176001

जम्मू एवं कश्मीर

17. **जम्मू एण्ड कश्मीर एसी.सी./एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.**
    715–ए, लास्ट मोड़, गाँधी नगर, जम्मू–180004
18. **जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन**
    एस.डी.ए. कॉलोनी, बेमिना, श्रीनगर–190018

झारखण्ड

19. **झारखण्ड स्टेट ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन**
    प्रथम तल, कल्यान काम्प्लेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची, झारखण्ड–834008

कर्नाटक

20. **डी देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन**
    सं. 16 डी, चौथा तल, देवराज उर्स नवन, मिलर टैंक बेड एरिया, वसंथनगर, बैंगलोर, कर्नाटक–560052
21. **कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.**
    सं. 16 डी, पंचम तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बेड एरिया, वसंथनगर, बैंगलोर, कर्नाटक–560052

केरल

22. **केरल स्टेट आर्टीसन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.**
    स्वागथ, टी.सी. 12/755 गवर्नमेंट लां कॉलेज रोड़, वांच्यूर पी.ओ. थिरूअनन्तपुरम, केरल–695035
23. **हँडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल लि.**
    पोस्ट बॉक्स सं. 171, पुथेनचन्थाई, थिरूअनन्तपुरम, केरल–695001
24. **केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.**
    ''सेन्टीनेल'' द्वितीय तल, टी.सी. 27/588 (7) एवं (8), पटूर, वांच्यूर पी.ओ., थिरूअनन्तपुरम, केरल–659035
25. **केरल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन फॉर फिशरीज डेवलपमेंट लि. (मतस्यफेड)**
    कमलेश्वरम, मनाकौड पी.ओ., थिरूअनन्तपुरम, केरल–695009
26. **केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्रॉम एस.सी एण्ड रिकमेंडिड कम्यूनिटीज (लि.)**
    रेलवे स्टेशन के पास, नागम्पदम, कोट्टायम, केरल–686002
27. **केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एण्ड वर्कर्स वेल्फेयर कॉरपोरेशन लि.**
    ''कैल्पम'' कुम्भुम्चिला, अरायूर, पो.ओ. कोट्टामोम केरल–695122
28. **द केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.**
    प्रथम तल, ट्रांसपोर्ट भवन, ईस्ट फोर्ट, अट्टाकुलंगारा, थिरूअनन्तपुरम, केरल–595023

मध्य प्रदेश

29. **संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम**
    हस्तशिल्प भवन, हमीदिया रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश–462001
30. **मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम**
    राजीव गाँधी भवन, परिसर–2, प्रथम तल, 35 अयामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश –462 002

महाराष्ट्र

31. **महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामण्डल लि.**
    एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चौथा तल, रामकृष्ण चौम्बूरकर मार्ग, चौम्बूर (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र–400071
32. **वसंतराव नाईक विमुक्त जाती एण्ड नोमडिक ट्राइन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.**
    25एन, जुहू सुप्रीम शॉपिंग सेन्टर, गुलमोहर क्रॉस रोड नं.–1, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पारले (पश्चिम), मुम्बई, महाराष्ट्र–400049

उड़ीसा

33. **द उडीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि.**
    क्वाटर सं. ए/6 यूनिट–5, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर, उड़ीसा–751001

पुड्डूचेरी

34. **पुडडुचेरी बैकवर्ड क्लासेज एण्ड मॉइनोरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.**
    सं. 258, कामराज सलाई, सरम, पुड्डुचेरी – 605013

पंजाब

35. **पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन**
    एस.सी.ओ. नं. 60–61, सेक्टर 17ए, चण्डीगढ़–160017

राजस्थान

36. **राजस्थान ओ.बी.सी. फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि.**
    द्वितीय तल, नेहरु सहकार भवन, 22 गोदाम के पास, जयपुर, राजस्थान–302005

सिक्किम

37. **सिक्किम ओड्यूल्ड कास्ट, ओड्यूल्ड ट्राइब एण्ड ओ.बी.सी डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि.**
    सोनम टेशरिंग मार्ग (काजी रोड़), गंगटोक, सिक्किम–737101

तमिलनाडु

38. **तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन**
    1/1 (1), मेयर रामानाथन सलाई (ईस्ट), एग्मौर, (गंगुरेडी सबवे के पास) चेन्नई, तमिलनाडु–600008

तेलंगाना

39. **स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.**
    फ्लैट सं. 401, 402, 5–9–22/बी, माय होम सरोवर प्लाजा, सचिवालय रोड, औफाबाद, हैदराबाद–500063, तेलंगाना

त्रिपुरा

40. **त्रिपुरा ओ.बी.सी. को–ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.**
    सुपारी भवन, कृष्णा नगर, लेक चौमुहानी, ट्राइबल रिसर्च भवन, त्रिपुरा (वेस्ट) अगरतला, त्रिपुरा–799001

उत्तर प्रदेश

41. **उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.**
    525ए/108डी, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ–226006, उत्तर प्रदेश
42. **उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.**
    10, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

उत्तराखण्ड

43. **उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम**
    डायरेक्टरेट, ट्राइबल वेलफेयर प्रेमिसेस, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादन, उत्तराखंड–248001

पश्चिम बंगाल

44. **वेस्ट बंगाल एस.सी/एस.टी एण्ड ओ.बी.सी डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन**
    मुख्य कार्यालय, ब्लाक सी एफ, 217/ए/1, सेक्टर–1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700064
45. **वेस्ट बंगाल माइनॉरटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन**
    'अम्बर' डी.डी.–27/ई, सेक्टर–1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700064

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक**
   मरियापुरम चर्च के पास, मरियापुरम, कडपा–516003, आंध्र प्रदेश

असम

2. **असम ग्रामीण विकास बैंक**
   मुख्य कार्यालय जी. एस. रोड, भंगागढ़, गुवाहाटी, असम–781005
3. **कोनोकलता महिला अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक लि.**
   मुख्य का. गर अली शाखा, साहिद कोनोकलता बरुआह मेमोरियल भवन, जोरहट मरियानी रोड, गर अली, जोरहट, असम–785001

बिहार

4. **दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक**
   मुख्य कार्यालय श्री विष्णु कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एन.एच–30, न्यू बाईपास, बीपी हाईवे सर्विस पेट्रोल पंप के पास, असोचक, पटना–800016

छत्तीसगढ़

5. **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक**
   मुख्य कार्यालय : महादेवघाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर – 492013 छत्तीसगढ़

गुजरात

6. **सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
   मुख्य कार्यालय, विंग– 2 प्रथम तल, LIC जीवन प्रकाश बिल्डिंग, टैगोर रोड, राजकोट–360001, गुजरात
7. **बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक**
   101 एबीएन चैम्बर, प्रथम तल, वेलकम होटल के सामने, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390005, गुजरात

हरियाणा

8. **सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक**
   एसएचजीबी हाउस, प्लाट स०–1, सेक्टर–3, रोहतक– 124001, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

9. **हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बँक**
   मुख्य कार्यालय : जेल रोड (पंजेठी) तल्याहर मंडी, हिमाचल प्रदेश– 175001

झारखण्ड

10. **झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक**
    मार्केट प्लेस, तृतीय तल, जिला परिषद् भवन, रांची–834001, झारखण्ड

मध्य प्रदेश

11. **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक**
    204, द्वितीय तल, सी–21 बज्नेस पार्क, सी–21 स्क्वायर, होटल रेडिसन ब्लू के सामने एम आर–10 इंदौर–452010, मध्य प्रदेश
12. **मध्यांचल ग्रामीण बैंक**
    मुख्य कार्यालय पोद्दार कॉलोनी, तीली रोड, सागर – 470001, मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

13. **महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
    'जीवन श्री' प्लाट नं०–35, सेक्टर–जी, वर्षा इन टाउन सेंटर होटल के पास, सिडको, न्यू औरंगाबाद– 431005, महाराष्ट्र
14. **अनिक फाइनेन्सियल सरविसेज प्रा. लि. (एनबीएफसी–एमएफआई)**
    सहयादी बिल्डिंग बिहाइन्ड अमितेस होटल, नियर सैनका, अम्बाजोगई रोड, लातूर–413512, महाराष्ट्र

मणिपुर

15. **मणिपुर रूरल बैंक**
    केशाम्पट केशाम लेकाई इम्फाल, मणिपुर– 795001

पंजाब

16. **पंजाब ग्रामीण बँक**
    मुख्य कार्यालयः जालंधर रोड, कपूरथला–144601, पंजाब

राजस्थान

17. **राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक**
    तुलसी टावर, 9वां बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर–342003, राजस्थान

तेलंगाना

18. **तेलंगाना ग्रामीण बैंक**
    2–1–520, द्वितीय तल, विजय श्री साई सलेस्टिया, स्टेन0–9, नाललाकुन्ता, आंकमुट्ट रोड, हैदराबाद–500044, तेलंगाना
19. **आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक**
    डोर नं.–2–5–8–/1, राम नगर, हनमाकोन्डा–506001, वारंगल (सिटी एवं जिला) तेलंगाना

त्रिपुरा

20. **त्रिपुरा ग्रामीण बैंक**
    मुख्य कार्यालयः वी.आई.पी. रोड, अभोयानगर, अगरतला, वेस्ट त्रिपुरा–799005

उत्तर प्रदेश

21. **प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक**
    मुख्य कार्यालयः राम गंगा विहार, फेज–2. पोस्ट बॉक्स न0–446. मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश
22. **बड़ौदा यू.पी बैंक**
    बुद्ध विहार, कमर्शियल स्कीम, न्यू शिवपुरी कॉलोनी, तारामंडल, गोरखपुर–273016, उत्तर प्रदेश
23. **आर्यवर्त बैंक**
    मुख्य कार्यालयः ए–2/46, विजयखंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश

उत्तराखण्ड

24. **उत्तराखंड ग्रामीण बैंक**
    मुख्य कार्यालयः 18, न्यू रोड, देहरादून–248001, उत्तराखंड

पैन इंडिया

25. **बैंक ऑफ बड़ौदा**
    मुख्य कार्यालयः बड़ौदा भवन, तृतीय तल, आर.सी. दत्त रोड, वड़ोदरा–390007, गुजरात
26. **केनरा बैंक**
    मुख्य कार्यालयः 112, जे.सी. रोड, बंगलौर–560002. कर्नाटक
27. **पंजाब नेशनल बैंक**
    प्लाट नं० 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
28. **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
    एग्री. बिजनेस विभाग, 10 एनेक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, द्वितीय तल, 5–9–11, पट्टाभि, सैफाबाद, हैदराबाद–500004
29. **बैंक ऑफ इंडिया**
    स्टार हाउस सी–5, ब्लॉक–जी, बान्द्रा कुरला कॉम्पलैक्स बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई–400051, महाराष्ट्र
30. **सैन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया**
    चन्द्रमुखी, नरीमन प्वाईट, मुम्बई–400021, महाराष्ट्र
31. **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**
    स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा मार्ग, मुम्बई–400057, महाराष्ट्र
32. **जना सूक्ष्म फाईनेंस बैंक लिमिटेड**
    द फेयरवे बिजनेस पार्क, प्रथम तल, सर्वे नं.–10/1, 11/2 एवं 12/2बी, कोरामनगला, इनर रिंग रोड, इजीएल बिजनेस पार्क से आगे, चाललाघातता, बेंगलुरू–560071, कर्नाटक
33. **उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक**
    एस–24/1–2, प्रथम तल, महावीर नगर, आर्डरली बाजार, महावीर मंदिर के पास, वाराणसी–221002 (उ०प्र०)

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

5वीं मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016

ई-मेल : info@nbcfdc.gov.in, **वेबसाइट :** www.nbcfdc.gov.in

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016

E-mail : info@nbcfdc.gov.in, **Website :** www.nbcfdc.gov.in

Designed & Printed by : Kaka Advertising Agency